

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2023-पौष 8, शक 1945

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)-कुछ नहीं

भाग ४ (ख)-कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2023

क्रमांक 2896/मप्रविनिआ/2023. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36. वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 39 की उप-धारा(2) के खण्ड(घ) के उप-खण्ड(एक), धारा 40 के खण्ड(ग) के उप-खण्ड(एक), धारा 66 तथा धारा 86 की उप-धारा(1) के खण्ड(ग) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015 {आरजी-34(I), वर्ष 2015} को पुनरीक्षित करता है और निम्न संहिता बनाता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023

1. प्रस्तावना—राष्ट्रीय विद्युत नीति में राज्यान्तरिक इकाईयों के मध्य, अन्तःदिवस विद्युत के अंतरण हेतु राज्य स्तर पर 'उपलब्धता आधारित विद्युत-दर' (एबीटी) की एक विश्वसनीय व्यवस्थापन क्रियाविधि के कार्यान्वयन की संस्थापना किये जाने की परिकल्पना है। राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार इस संरचना का विस्तार विद्युत उत्पादन केन्द्रों {जिनमें राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा यथा अवधारित क्षमता वाले ग्रिड संयोजित आबद्ध (केप्टिव) संयन्त्र सम्मिलित हैं} तक किया जाना चाहिए। सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015 राष्ट्रीय टैरिफ नीति की धारा 5.7.1(बी) तथा (डी) एवं विद्युत नीति की धारा 6.2(1) तथा 6.3 के उद्देश्यों को प्रभावी बनाए जाने की दृष्टि से बनाई गई थी। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा तत्पश्चात् केविविआ (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम, 2022 अधिसूचित किये गये हैं तथा विनियम केविविआ (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम, 2014 निरसित किये जा चुके हैं। उपरोक्त दृष्टि से एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023 अधिसूचित की जा रही है।
2. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति का विस्तार और प्रारंभ
 - (1) यह संहिता "मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023 [आरजी-34(II), वर्ष 2023]" कहलायेगी।
 - (2) यह संहिता मध्यप्रदेश राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर लागू होगी तथा इसका अनुप्रयोग राज्य पारेषण तन्त्र (नेटवर्क) से संयोजित समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों को किया जाएगा जो इस संहिता में निर्दिष्ट रीति के अनुसार राज्य के भीतर/बाहर विद्युत का विक्रय करती हैं या राज्य के भीतर या बाहर विद्युत का क्रय करती हैं।

(अ) यह संहिता आयोग द्वारा ऐसी तिथि से प्रवृत्त होगी जैसा कि आयोग द्वारा पृथक से इस संबंध में अधिसूचित किया जाए।

3. (1) परिभाषाएं :- इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) ;
- (ख) "क्रेता (Buyer)" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो ग्रिड संहिता के अनुसार अनुसूचित लेन-देन संव्यवहार के माध्यम से विद्युत क्रय करता हो ;
- (ग) "केविआ" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 76 में निर्दिष्ट किया गया केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ;
- (घ) "सीएमआरआई (CMRI)" से अभिप्रेत है बहुनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मापयंत्रों से आंकड़ों को डाउनलोड करने तथा इनके संग्रहण हेतु उपयोग में लाए जाने वाला सामान्य मापयंत्र वाचन उपकरण ;
- (ङ) "आयोग" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 82 के अधीन गठित मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग ;
- (च) "दिवस" से अभिप्रेत है एक निरन्तर कालावधि जो 00.00 घंटे (बजे) से प्रारंभ होकर 24.00 घंटे (बजे) पर समाप्त होती है ;
- (छ) "विस्तृत प्रक्रिया" से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा इस संहिता के अधीन जारी की गई विस्तृत परिचालन प्रक्रिया ;
- (ज) "विचलन" किसी समय-खण्ड में किसी विक्रेता हेतु इसका तात्पर्य इसके वास्तविक अन्तःक्षेपण (इन्जेक्शन) में से इसके समग्र अनुसूचित उत्पादन को घटा कर प्राप्त की गई मात्रा से है जबकि किसी क्रेता हेतु इसका तात्पर्य इसके समग्र वास्तविक आहरण में से इसके समग्र अनुसूचित आहरण की मात्रा को घटाकर प्राप्त की गई मात्रा से है ;
- (झ) "विचलन प्रभार" से अभिप्रेत प्रभारों से है जैसा कि इनकी गणना केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दरों तथा क्रियाविधि के अनुसार की जाए ;
- (ञ) "विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म विनियम" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम, 2022 तथा इसमें उसके कोई पश्चात्वर्ती संशोधन ;

- (ट) "वितरण कम्पनी नियन्त्रण केन्द्र (DCC)" से अभिप्रेत है, इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी मुख्यालय पर आवश्यक अधोसंरचना तथा मानव संसाधनों से युक्त संस्थापित किया गया नियंत्रण कक्ष जिसके निर्माण, स्वामित्व, संचालन तथा संधारण का दायित्व संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी का होगा ;
- (ठ) "वितरण कम्पनी ऊर्जा लेखांकन दल (DEAG)" से अभिप्रेत है, प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वितरण कम्पनी नियन्त्रण केन्द्र पर गठित किया जाने वाला दल जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र के समन्वय से (जहां कहीं यह अपेक्षित हो), इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा ;
- (ड) "वितरण अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत वितरण कम्पनी" से अभिप्रेत है, कोई अनुज्ञप्तिधारी जो उसके प्रदाय-क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय हेतु किसी विद्युत वितरण प्रणाली को संचालित तथा संधारित किये जाने हेतु प्राधिकृत है ;
- (ढ) "आहरण अनुसूची (Drawal Schedule) या अनुसूचित आहरण (Scheduled Drawal)" का किसी क्रेता हेतु, किसी समय-खण्ड या किसी कालावधि से, अभिप्रेत राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा एक्स बस मेगावाट ऑवर (MWh) में या मेगावाट (MW) में प्रदान किये गये आहरण की अनुसूची से है ;
- (ण) "ऊर्जा लेखांकन दल (EAG)" से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र स्तर पर गठित किया जाने वाला दल जो इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा ;
- (त) "स्वत्वाधिकार (Entitlement)" से अभिप्रेत है किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता/उत्पादन सुयोग्यता में विद्युत वितरण कम्पनी तथा एक निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेता का अंशदान (मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर में) ;
- (थ) "विद्युत संयन्त्र से उद्भूत या एक्स-विद्युत संयन्त्र" से अभिप्रेत है एक विद्युत उत्पादन केन्द्र से सहायक खपत तथा रूपान्तरण हानियों को घटाकर शुद्ध विद्युत उत्पादन, मेगावाट/मेगावाट ऑवर में ;
- (द) "उत्पादक नियंत्रण केन्द्र (GCC)" से अभिप्रेत है इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक अधोसंरचना तथा मानव संसाधनों से युक्त मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड मुख्यालय पर संस्थापित किया गया नियंत्रण कक्ष जिसके निर्माण, स्वामित्व अधिकार, परिचालन तथा संधारण का दायित्व मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का होगा ;

- (ध) "ग्रिड" से अभिप्रेत है अन्तर्संयोजित पारेषण तन्तुपथों (लाईनों), उपकेन्द्रों तथा विद्युत उत्पादन संयन्त्रों की उच्च वोल्टेज आधारित आधारभूत प्रणाली ;
- (न) -"स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक (IPP)" से अभिप्रेत है कोई विद्युत उत्पादन कम्पनी जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा धारित या नियंत्रित न की जा रही हो ;
- (प) "भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (IEGC)" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा(1) के खण्ड(ज) के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की गई ग्रिड संहिता ;
- (फ) "अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादन केन्द्र (ISGS)" से अभिप्रेत है कोई केन्द्रीय/अन्य विद्युत उत्पादन केन्द्र जिसमें दो या दो से अधिक राज्यों की भागीदारी हो तथा जिसके अनुसूचीकरण का समन्वयन क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (RLDC) द्वारा किया जा रहा हो ;
- (ब) -"शज्यान्तरिक इकाई (Intra-State Entity)" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति (इकाई) जिसका विद्युत मापन (मीटरिंग) यथास्थिति राज्य पारेषण उपयोगिता (यूटिलिटी) या विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाता है, तथा ऊर्जा लेखांकन राज्य भार प्रेषण केन्द्र या अन्य किसी प्राधिकृत राज्य अभिकरण द्वारा किया जाता है ;
- (भ) "मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (MPEGC)" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा(1) के खण्ड(ज) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई ग्रिड संहिता ;
- (म) "माह" से अभिप्रेत है ग्रेगोरियन (Gregorian) कैलेण्डर के अनुसार निर्दिष्ट एक कैलेण्डर माह की अवधि;
- (य) "एमपीपीएमसीएल (MPPMCL)" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 29 जून, 2012 के माध्यम से गठित की गई मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ;
- (य-क) "शुद्ध आहरण अनुसूची (Net Drawal Schedule)" से अभिप्रेत है किसी विद्युत वितरण कम्पनी अथवा किसी निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेता की आनुपातिक पारेषण हानियों (प्राक्कलित) को घटाकर तैयार की गई आहरण अनुसूची ;
- (य-ख) "निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेता" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति (इकाई) जिसे समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (इन्टरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम तक कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क एक्सेस) विनियम, 2022 और समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में

अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तों) विनियम (पुनरीक्षण-प्रथम), 2021 के अधीन उसके प्रदाय क्षेत्र के वितरण अनुज्ञापिधारी को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति से विद्युत प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है या कोई विद्युत उत्पादन कम्पनी {आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन संयन्त्र को सम्मिलित करते हुए} या कोई अनुज्ञापिधारी जिसके द्वारा निर्बाध (खुली) पहुंच की सुविधा प्राप्त की गई है या इस हेतु इच्छुक हो ;

- (य-घ) "अनुसूचित उत्पादन (Scheduled Generation) या अनुसूचित अन्तःक्षेपण (Scheduled Injection)" का किसी समय-खण्ड या किसी कालावधि में किसी विक्रेता हेतु अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रदत्त उत्पादन या अन्तःक्षेपण की अनुसूची मेगावाट (MW) या मेगावाट (MWh) ऑवर एक्स बस में ;
- (य-ङ) "विक्रेता (Seller)" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, विद्युत उत्पादन केन्द्र को सम्मिलित करते हुए जो केन्द्रीय तथा राज्य ग्रिड संहिता के अनुसार किसी लेन-देन संव्यवहार के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति कर रहा हो ;
- (य-च) "राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC)" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा(1) के अधीन स्थापित केन्द्र ;
- (य-छ) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य ;
- (य-ज) "राज्य ऊर्जा लेखा (SEA)" से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा क्षमता प्रभारों, ऊर्जा प्रभारों तथा प्रोत्साहन, यदि कोई लागू हों, की बिलिंग तथा व्यवस्थापन हेतु तैयार किया गया मासिक राज्य ऊर्जा लेखा ;
- (य-झ) "राज्य प्रतिक्रियाशील लेखा (SRA)" से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रतिक्रियाशील (Reactive) ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग तथा व्यवस्थापन हेतु तैयार किया गया साप्ताहिक राज्य प्रतिक्रियाशील लेखा ;
- (य-ञ) "राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा (SDSMA)" से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विचलन प्रभारों की बिलिंग तथा व्यवस्थापन हेतु तैयार किया गया साप्ताहिक राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा ;
- (य-ट) "राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र (SSGS)" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी द्वारा संचालित राज्य के भीतर कोई विद्युत उत्पादन केन्द्र जिसमें पंच जल विद्युत केन्द्र सम्मिलित है, अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा स्वतंत्र विद्युत

उत्पादन केन्द्रों/आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादक जो मध्यप्रदेश राज्य के भीतर स्थित हैं तथा जिनमें राज्य का अपना अंशदान है, को छोड़कर ;

(य-ठ) "राज्य पारेषण उपयोगिता (STU)" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सरकारी कंपनी ;

(य-ड) "समय-खण्ड" से अभिप्रेत है समय खण्ड (टाईम ब्लॉक) जैसा कि इसे राज्य ग्रिड संहिता में परिभाषित किया गया है ;

(य-ढ) "पारेषण अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत है कोई अनुज्ञप्तिधारी जिसे पारेषण तन्तुपथों को स्थापित तथा संचालित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है ; और

(य-ण) "सप्ताह" से अभिप्रेत है सात दिवस की निरंतर कालावधि जो ग्रेगोरियन (Gregorian) कैलेंडर के अनुसार सोमवार को 00.00 घंटे (बजे) से प्रारंभ होकर आगामी रविवार को 24.00 घंटे (बजे) पर समाप्त होती है।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इस संहिता में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं, तथा जो अधिनियम या केविविआ (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम 2022 या भारतीय ग्रिड संहिता या मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता में परिभाषित किये गये हैं, के वे ही अर्थ होंगे जो यथास्थिति अधिनियम या केविविआ (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम 2022 या भारतीय ग्रिड संहिता या मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता में उनके लिए निर्दिष्ट किये गये हैं।

4. अधोसंरचना तथा क्षमता आवश्यकताएं (Infrastructure and Capability Requirements)

(1) इस संहिता के सम्पूर्ण कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्यान्तरिक इकाई यथोचित अधोसंरचना तथा क्षमता विकसित किया जाना सुनिश्चित करेगी।

(2) इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य भार प्रेषण केन्द्र सुसंबद्ध तथा शेष मामले जिन्हें इस संहिता में विस्तृत रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है, के बारे में विद्यमान विस्तृत प्रक्रिया संबंधी संशोधन तैयार कर 30 दिवस के भीतर इसे आयोग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा :

(क) अनुसूचीकरण (Scheduling) तथा प्रेषण (Despatch) हेतु विस्तृत प्रक्रिया;

(ख) ऊर्जा मीटरीकरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया (जिसमें डाटा संग्रहण, डाटा प्रसंस्करण, डाटा अन्तरण, डाटा परिरक्षण, आदि सम्मिलित हैं) ;

- (ग) ऊर्जा लेखांकन, विचलन प्रभारों का लेखांकन, प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों का लेखांकन और विचलन प्रभारों तथा प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों का भुगतान व्यवस्थापन {राज्य समेकित (पूल) खाता के प्रबंधन, आदि को सम्मिलित करते हुए} हेतु विस्तृत प्रक्रिया ;
- (घ) अत्यधिक आपूर्ति/ग्रिड आकस्मिकताओं के दौरान पॉवर में कटौती के बारे में विस्तृत प्रक्रिया ; तथा
- (ङ) अन्य कोई प्रक्रिया जिसे राज्य भार प्रेषण केन्द्र इस संहिता के सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक समझे।

- (3) प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी इस संहिता के क्रियान्वयन हेतु संबंधित वितरण कंपनी नियंत्रण केन्द्र पर वितरण कम्पनी ऊर्जा लेखांकन दल को विभिन्न क्रियाकलापों जैसे कि विद्युत वितरण कम्पनी अन्तःस्थापित निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं (जो विद्युत वितरण कम्पनी से संयोजित हैं) के लिये विचलन प्रभारों की गणना और लघु-अवधि खुली पहुंच के अन्तर्गत विद्युत के लेन-देन संव्यवहार करने वाले निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं का समय खण्ड स्तर पर ऊर्जा के व्यवस्थापन, तथा अन्य गतिविधियां जो इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु वांछित हैं, के लिये पूर्ण रूप से विकसित तथा सुसज्जित करेगी।

5. अनुसूचीकरण तथा प्रेषण (Scheduling & Despatch)

- (1) समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों का अनुसूचीकरण तथा प्रेषण समय-समय पर यथासंशोधित एवं यथापुनरीक्षित मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (MPEGC) (पुनरीक्षण-द्वितीय) 2019 के सुसंबद्ध उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा। समस्त अनुसूचीकरण समय-खण्ड स्तर पर किया जाएगा जैसा कि इसे राज्य ग्रिड संहिता में परिभाषित किया गया है। वर्तमान में समय खण्ड 15 मिनट की कालावधि का है तथा प्रत्येक दिवस 00.00 घंटों से प्रारंभ होकर 24.00 घंटों (बजे) तक 96 एक-समान समय-खण्डों में विभाजित किया जाएगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रत्येक क्रेता को आहरण अनुसूची (Drawal Schedule) तथा प्रत्येक विक्रेता को विद्युत उत्पादन अनुसूची (Generation Schedule) के बारे में संकलित कर सूचित करेगा।
- (2) उत्पादन अनुसूचियों को तैयार करते समय राज्य भार प्रेषण केन्द्र, पारेषण प्रणाली के प्रतिबन्धों तथा विद्युत उत्पादन पर परिचालन की सीमाओं (शर्तों) तथा सीमाबद्धताओं के प्रावधान को ध्यान में रखेगा जैसा कि इसका प्रावधान

समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता में किया गया है।

- (3) क्रेताओं की उनकी बाह्य सीमा (Periphery) पर शुद्ध आहरण अनुसूचियों (Net Drawal Schedules) की गणना हेतु साप्ताहिक संयोजन बिन्दु हानियों जैसा कि इनकी गणना राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार तथा हानियों में साझेदारी) -- विनियम 2020 के अनुसार की जाएगी तथा मध्यप्रदेश की साप्ताहिक परिकल्पित पारेषण हानियों, राज्य विद्युत वितरण कम्पनीवार पारेषण हानियों (राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु प्रयोज्य) और वितरण/अन्य हानियों, यदि लागू हों, को उनकी आहरण अनुसूचियों के अनुपात में संविभाजित किया जाएगा। मग्न पारेषण तथा विद्युत वितरण कम्पनीवार पारेषण हानियों की साप्ताहिक गणना के लिये राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी ;
- (क) किसी प्रदत्त सप्ताह हेतु राज्य पारेषण हानि = {एक सप्ताह में राज्य ग्रिड में कुल शुद्ध (नेट) अन्तःक्षेपण (इन्जेक्शन) - (राज्य ग्रिड से सप्ताह में शुद्ध आहरण) ;
- (ख) किसी प्रदत्त सप्ताह हेतु राज्य विद्युत वितरण कम्पनीवार पारेषण हानि = {मग्न राज्य की बाह्य सीमा पर एक सप्ताह में कुल शुद्ध अन्तःक्षेपण (इन्जेक्शन)} - (राज्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा एक सप्ताह में राज्य ग्रिड से किया गया शुद्ध आहरण) ;
- (ग) $n^{\text{वै}}$ सप्ताह में हानि की गणना $(n+1)^{\text{वै}}$ सप्ताह के पांचवे दिवस तक की जाएगी ;
- (घ) हानि के इस आंकड़े को तत्पश्चात् $(n+2)^{\text{वै}}$ सप्ताह के प्रारंभ से अनुसूचीकरण प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाएगा ;
- (ङ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र $n^{\text{वै}}$ सप्ताह की वास्तविक हानि को $(n+2)^{\text{वै}}$ सप्ताह में अनुसूचीकरण के प्रयोजन से निकटतम 0.01% तक, पूर्णांक करेगा (उदाहरणतया, 4.705% को 4.71% तक पूर्णांक किया जाएगा, तथा इसी प्रकार 3.442% को 3.44% तक पूर्णांक किया जाएगा, इत्यादि); तथा
- (च) ग्रिड में अपवादित प्रकृति की घटनाओं के परिणाम किसी सप्ताह के दौरान असामान्य रूप से उच्च अथवा निम्न हानियों के रूप में प्रकट

हो सकते हैं। यह या तो मौसम में किसी विक्रोभ के कारण राज्य में किसी भार में अचानक कमी आ जाने के रूप में अथवा किसी वृहद् जल-विद्युत पावर स्टेशन के मानसून में जलाशय से किसी रेत (सिल्ट)/कचरे की निकासी हेतु उसे बन्द किये जाने के कारण या किसी मुख्य पारेषण तन्तुपथ आदि में अवरोध इत्यादि के कारण हो सकता है। जहां तक अनुसूचीकरण प्रक्रिया का संबंध है, इन असामान्य सप्ताहों हेतु, हानियों पर सामान्यतः ध्यान नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य भार प्रेषण केन्द्र का निर्णय अन्तिम माना जाएगा।

- (4) राज्य भार प्रेषण केन्द्र अपनी वेबसाइट पर समस्त अनुसूचीकरण सूचनाएं, स्टेशन-वार पूर्वानुमान एक्स-विद्युत संयन्त्र क्षमताओं के जैसा कि विद्युत उत्पादन केन्द्रों द्वारा इस बाबत परामर्श दिया जाए, अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों, राज्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों तथा स्वतन्त्र विद्युत उत्पादन केन्द्रों में स्वत्वाधिकारों, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी अन्तःक्षेपण (इन्जेक्शन) एवं आहरण अनुसूचियां, समस्त पुनरीक्षण सम्मिलित करते हुए अपलोड करेगा।
- (5) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई अनुसूचीकरण संबंधी प्रक्रिया तथा अन्तिम कार्यान्वित अनुसूचियों को समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों को किसी जांच/सत्यापन बाबत 5 दिवस की अवधि हेतु प्रकट किया जाएगा। यदि कोई त्रुटि/चूक इंगित की जाए तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र त्रुटि, यदि कोई हो तो तत्काल इसकी सम्पूर्ण जांच करेगा तथा इसमें आवश्यक सुधार करेगा।
- (6) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी के समस्त जल विद्युत केन्द्रों द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तों) विनियम, 2020 के अनुसार दिवस पूर्व घोषित क्षमता (Declared Capacity-DC) प्रस्तुत की जाएगी।

6. ऊर्जा मापयन्त्र प्रणाली (Energy Metering)

- (1) राज्य पारेषण उपयोगिता (State Transmission Utility) द्वारा समस्त अन्तरापृष्ठ बिन्दुओं (interface points), मय राज्य पारेषण उपयोगिता नेटवर्क से संयोजित राज्यान्तरिक इकाईयों के, पर विशेष ऊर्जा मापयन्त्र (Special Energy Meters) तथा स्वचालित मापयन्त्र वाचन सुविधा (AMR facility), स्थापित की जाएगी एवं वितरण कम्पनी अन्तःस्थापित (embedded) (खुली पहुंच ग्राहक एवं नवीकरणीय

ऊर्जा विद्युत उत्पादन केन्द्र) तथा अन्तर-वितरण कम्पनी अन्तरापृष्ठ बिन्दु वास्तविक शुद्ध किलोवाट ऑवर विनिमय (Interchanges) तथा KVARh अन्तःक्षेपण (इन्जेक्शन) आहरणों के अभिलेखन हेतु विशेष ऊर्जा मापयंत्र स्थापित करेगी।

विद्युत उत्पादन केन्द्रों (ताप, जल-विद्युत तथा नवीकरणीय), रेलवे, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ) तथा खुली पहुंच क्रेताओं के अन्तरापृष्ठ बिन्दुओं पर स्थापित किये गये उपलब्धता आधारित टैरिफ मापयंत्रों (ABT meters) [मुख्य, प्रति-परीक्षण तथा आपात-उपयोगी (स्टैंडबाई)] तथा स्वचालित मापयंत्र वाचन सुविधा की लागत इन उपयोगिताओं (Utilities) द्वारा वहन की जाएगी। स्थापित किये जाने वाले मापयंत्रों के प्रकार, मापयंत्र स्थापना योजना, मापयंत्र स्थापना योग्यता, परीक्षण तथा अंशाकन अर्हताएं तथा मीटरीकृत आंकड़ों के संग्रहण तथा प्रसार को समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2019 तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मापयंत्रों की स्थापना तथा परिचालन) विनियम, 2006 के अनुसार निर्दिष्ट किया जाएगा। समस्त संबंधित राज्यान्तरिक इकाईयों (अन्तरापृष्ठ मापयंत्रों के स्वामियों) को सदैव यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वचालित मापयंत्र वाचन सुविधा क्रियाशील (functional) है तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को आंकड़ों के संप्रेषण के योग्य है। यदि विशेष ऊर्जा मापयंत्र के साप्ताहिक आंकड़े राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर स्थापित की गई स्वचालित प्रणाली पर प्राप्त न होते हों तो इन्हें डाउनलोड किया जा सकेगा तथा यथास्थिति संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी या राज्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों (SSGS) द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को संप्रेषित किया जा सकेगा जो उनके तन्त्र (नेटवर्क) के साथ अन्तरापृष्ठ (इन्टरफेस) धारित करता हो। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान की जाने वाली इस प्रकार की सेवाओं की लागत उपलब्धता आधारित टैरिफ मापयंत्र (ABT Meter) के स्वामी से वसूल की जा सकेगी।

रविवार मध्यरात्रि तक सप्ताह की अवधि पूर्ण होने पर, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर स्थापित की गई स्वचालित मापयंत्र वाचन प्रणाली (AMR System) के माध्यम से अन्तरापृष्ठ बिन्दुओं (Interface points) के मापयंत्र आंकड़ों को डाउनलोड करेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऐसे मापयंत्र जिनका स्वचलान मापयंत्र वाचन प्रणाली (AMR System) के माध्यम से वाचन नहीं हुआ हो, की सूची को चालू सप्ताह के मंगलवार तक ई-मेल के माध्यम से संबंधित अनुज्ञप्तिधारी या राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्रों (SSGS) को,

यथास्थिति, सूचित करेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र से ई-मेल प्राप्त होने पर संबंधित अनुज्ञप्तिधारी या राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र (SSGS), यथास्थिति, हस्तचालित व्यवस्था द्वारा मापयन्त्र आंकड़ों को MRI के माध्यम से डाउनलोड करेंगे तथा आंकड़ों को राज्य भार प्रेषण केन्द्र को चालू सप्ताह में ही अधिक से अधिक गुरुवार तक सम्प्रेषित करेंगे।

- (2) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, मापयन्त्र वाचन के आधार पर समय खण्ड अनुसार प्रत्येक विक्रेता के शुद्ध किलोवाट ऑवर अन्तःक्षेप तथा प्रत्येक क्रेता के वास्तविक शुद्ध आहरण की गणना करने तथा राज्य विचलन प्रभार लेखा व प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी के लिये, राज्य प्रतिक्रियाशील लेखा (State Reactive Account) को तैयार करने के लिये, निम्न वोल्टेज तथा उच्च वोल्टेज के दौरान दिवसवार शुद्ध प्रतिक्रियाशील ऊर्जा अन्तःक्षेपण (Reactive Energy Injection)/ राज्य प्रतिक्रियाशील लेखा (State Reactive Account) तैयार करने हेतु उत्तरदायी होगा। समस्त खण्डवार वास्तविक ऊर्जा आंकड़ों (kWh में) को (शुद्ध अनुसूचित, वास्तविक मीटरीकृत एवं विचलन बाबत) तथा दिवस-वार प्रतिक्रियाशील ऊर्जा के आंकड़ों (kVArh में) को शून्य दशमलव स्थान तक पूर्णांकित (round off) किया जाएगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा निष्पादित की गई समस्त गणनाएं समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों की जांच/सत्यापन हेतु पंद्रह (15) दिवस की अवधि हेतु, अवलोकनार्थ रखी जाएंगी। यदि ऊर्जा मीटरीकरण, राज्य ऊर्जा लेखे, राज्य विचलन लेखे तथा राज्य प्रतिक्रियाशील लेखे में किसी प्रकार की त्रुटि इंगित की जाती हो, तो ऐसी दशा में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा मामले की व्यापक छानबीन की जाएगी तथा उसके द्वारा पंद्रह दिवस के भीतर त्रुटि(यों) में, यदि कोई हों, तो इनमें आवश्यक सुधार किया जाएगा।
- (3) मापयन्त्र/मापयन्त्र उपकरण के विफल हो जाने के कारण, मुख्य मापयन्त्र, प्रतिपरीक्षण तथा आपात उपयोगी (main meter, check and standby meter) के आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण या समय पर आंकड़े प्राप्त न हाने पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र लुप्त (missing) मापयन्त्र आंकड़ों का आकलन करेगा जैसा कि इसे समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2006 के खण्ड 15 में परिभाषित किया गया है। राज्य भार प्रेषण केन्द्र लुप्त आंकड़ों का आकलन निम्न आधार पर करेगा :

- (एक) विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु – राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर 'SCADA' के माध्यम से उपलब्ध विद्युत उत्पादन आंकड़ों के आधार पर।
- (दो) विद्युत वितरण कम्पनियों के अन्तरापृष्ठ बिन्दुओं पर रेलवे तथा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ) को सम्मिलित करते हुए—आंकड़ों का आकलन 'SCADA' आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा यदि वह उपलब्ध है या फिर इसी अन्तरापृष्ठ बिन्दु पर स्थापित किये गये एबीटी मापयन्त्र के पूर्व सप्ताह के लिये उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा व इसे बाजू में स्थापित किये गये ट्रांसफार्मरों/संभरक के भार प्रतिदर्श (load pattern) से संरेखित समायोजित किया जाएगा।
- (तीन) खुली पहुंच क्रेताओं हेतु – राज्य भार प्रेषण केन्द्र विचलन प्रभारों (deviation charges) की गणना करते समय वास्तविक आंकड़ों को अनुसूची के आंकड़ों से प्रतिस्थापित (substitute) करेगा।

7. ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन (Energy Accounting and Settlement)

राज्य ऊर्जा लेखा (SEA)

- (1) राज्य भार प्रेषण केन्द्र मासिक राज्य ऊर्जा लेखा तैयार करेगा तथा इसे आगामी माह के 7वें दिवस अथवा पश्चिम क्षेत्रीय ऊर्जा समिति द्वारा क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (REA) जारी किये जाने के पश्चात् की किसी दिनांक में समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों को जारी करेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जब कभी भी अपेक्षित हो राज्य ऊर्जा लेखा को समय-समय पर पुनरीक्षित किया जाएगा। राज्य ऊर्जा लेखा में व्यापक रूप में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित की जाएगी :

- (क) प्रत्येक राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र, स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक तथा द्विभाग टैरिफ के अन्तर्गत अन्य किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु PAFM {माह के दौरान प्राप्त किया गया संयन्त्र उपलब्धता कारक (%में)} का विवरण :

परन्तु यह कि यदि स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक जिनका एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी के साथ ऑंशिक क्षमता का गठबन्धन (tieup) है, लाभार्थी द्वारा उनकी संविदाकृत क्षमता के लिये तकनीकी न्यूनतम अनुसूची प्रदत्त किये जाने के बावजूद अपनी इकाई को 'bar' पर नहीं रखते हैं तो इकाई को अनिवार्य अवरोध (forced outage) के अन्तर्गत

माना जाएगा तथा संयंत्र उपलब्धता कारक (PAF) की संगणना तदनुसार की जाएगी ;

- (ख) राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक तथा द्विभाग टैरिफ के अधीन अन्य किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा घोषित क्षमता की मिथ्या घोषणा के ब्योरे (यदि कोई हों) ;
- (ग) अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादन केन्द्र, राज्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्र, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक तथा द्विभाग टैरिफ के अधीन अन्य किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा विद्युत उत्पादन कम्पनियों/विद्युत वितरण कम्पनियों की ओर से एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी को अनुसूचित ऊर्जा संबंधी विवरण ;
- (घ) उभयनिष्ठ मापन (मीटरिंग) बिन्दु पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों (REG) के ऊर्जा अन्तःक्षेपण (इन्जेक्शन), मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा क्रय की गई विद्युत तथा स्वयं के उपयोग/तृतीय पक्ष को विक्रय के लिये विद्युत वितरण कम्पनियों को चक्रित की गई ऊर्जा के ब्योरे जैसा कि वे विद्युत वितरण कम्पनियों/मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं ; और
- (ङ) अन्य कोई विवरण, जिसके संबंध में राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य ऊर्जा लेखा को पूर्ण करने के लिए उचित समझे।
- (2) विद्युत वितरण कम्पनियां (मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की सुसंगत अधिसूचनाओं तथा आदेशों के अनुसार, संबंधित अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादन केन्द्र को अनुसूचित प्रेषण (scheduled despatch) हेतु (एक्स-पावर संयंत्र आधार पर), संयंत्र उपलब्धता तथा ऊर्जा प्रभारों एवं संयंत्र भार कारक (PLF) प्रोत्साहनों (यदि कोई हों), से तत्संबंधी क्षमता प्रभारों का भुगतान करेगी। इन प्रभारों से संबंधित देयक तत्संबंधी अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे।
- (3) मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की सुसंगत अधिसूचनाओं तथा आदेशों के अनुसार, संबंधित राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र/स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को अनुसूचित प्रेषण (scheduled

despatch) हेतु (एक्स-पावर संयंत्र आधार पर), संयंत्र उपलब्धता तथा ऊर्जा प्रभारों से तत्संबंधी क्षमता प्रभारों का भुगतान करेगी। इन प्रभारों से संबंधित देयक राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र/स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (IPP) इत्यादि द्वारा प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी को (मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से) मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे।

राज्य डी एस एम लेखा (SDSMA)

(4) राज्य भार प्रेषण केन्द्र साप्ताहिक राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा (DSMA) सप्ताह के अन्तिम दिन से दस दिवस के भीतर तैयार कर (समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों को) जारी करेगा तथा यदि आवश्यक हो तो बाद की किसी तिथि को इसे पुनरीक्षित भी करेगा। विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट क्रियाविधि तथा विचलनों के अनुसार तैयार किया जाएगा। विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा में व्यापक तौर पर निम्न जानकारी सम्मिलित की जाएगी :

- (क) वर्तमान में प्रचलित विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि संरचना के ब्यौरे ;
- (ख) प्रत्येक राज्यान्तरिक इकाई के दिवसवार तथा कुल विचलन प्रभारों के विवरण {विवरण में सम्मिलित होंगे, अनुसूचित ऊर्जा, वास्तविक ऊर्जा, विचलन प्रभार (असमायोजित) तथा विचलन प्रभार (समायोजित)} ;
- (ग) संक्षेपिका सारणी, समस्त इकाईयों को सप्ताह के दौरान उनको देय अथवा प्राप्ति योग्य विचलन प्रभार तथा शुद्ध विचलन प्रभार संकोष (पूल) सन्तुलन को सूचीबद्ध करते हुए ;
- (घ) पारेषण के प्रतिबंधों तथा ग्रिड विक्षोभों के कारण विचलन के समय-खंडों के स्थगन के ब्यौरे ; और
- (ङ) अन्य कोई ब्यौरे, जिन्हें राज्य भार प्रेषण केन्द्र विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा को पूर्ण किये जाने हेतु उचित समझता हो।

(5) मध्यप्रदेश राज्य द्वारा क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि संकोष लेखा में भुगतान-योग्य/प्राप्ति-योग्य विचलन की समन्वित विचलन राशि को पश्चिमी

क्षेत्र ऊर्जा समिति (वेस्टर्न रीजन पावर कमेटी-डब्लूआरपीसी) द्वारा तैयार तथा प्रसारित किये गये साप्ताहिक क्षेत्रीय डीएसएम लेखा से प्राप्त किया जाएगा।

(6) किसी समय-खण्ड में विचलन तथा प्रत्येक क्रेता तथा विक्रेता के विचलन हेतु प्रभारों की संगणना, पवन तथा सौर ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों को छोड़कर, समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म एवं संबंधित विषय) विनियम, 2022 के अनुसार तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इस संबंध में जारी कतिपय दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

(7) राज्य में सक्रिय ऊर्जा लेन-देन संव्यवहार हेतु निम्नलिखित नियम लागू होंगे :

(क) राज्यान्तरिक इकाई द्वारा अधिक-विद्युत आहरण (Over-Drawal) हेतु (+) भुगतान-योग्य राशि ;

(ख) राज्यान्तरिक इकाई द्वारा कम-विद्युत आहरण (Under-Drawal) हेतु (-) प्राप्ति-योग्य राशि ;

(ग) राज्यान्तरिक इकाई द्वारा कम-विद्युत उत्पादन (Under-Generation) हेतु (+) भुगतान-योग्य राशि ;

(घ) राज्यान्तरिक इकाई द्वारा अधिक-विद्युत उत्पादन (Over-Generation) हेतु (-) प्राप्ति-योग्य राशि ;

(8) विचलन प्रभारों के असंतुलन व्यवस्थापन की प्रक्रिया :

विचलन प्रभारों का संकोष सन्तुलन (Pool Balancing) तीन चरणों में निम्नानुसार किया जाएगा :

एक. विद्युत वितरण कम्पनियों, {मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (CZ), मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (EZ), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (WZ)} का संकोष संतुलन (pool balancing) कुल विचलन प्रभारों (Total Deviation Charges) के साथ किया जाएगा। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा कुल विचलन प्रभारों (भुगतान-योग्य/प्राप्ति-योग्य) का मिलान दिवस-स्तर पर किया जाएगा।

दो. खुली पहुंच क्रेताओं (OACs) को छोड़कर, समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों का संकोष सन्तुलन (पूल बैलेंसिंग) दीर्घ-अवधि के अधीन किया जाएगा।

तीन. खुली पहुंच क्रेताओं तथा ऐसे विद्युत उत्पादक जो अशक्त ऊर्जा (infirm power) का अन्तःक्षेपण करते हैं, को सम्मिलित करते हुए समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों का संकोष सन्तुलन (पूल बैलेंसिंग) किया जाएगा।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा राज्यान्तरिक इकाईयों के विचलन प्रभारों का असंतुलन व्यवस्थापन (imbalance settlement) संलग्न परिशिष्ट के अनुसार किया जाएगा।

- (9) किसी विद्युत उत्पादन इकाई (Generating unit) को क्रियाशील किये जाने की तिथि (COD) से पूर्व अशक्त विद्युत (infirm power) के अंतःक्षेपण (इन्जेक्शन) तथा प्रारंभिक विद्युत के आहरण हेतु विचलन संबंधी प्रभारों की संगणना समय-समय पर यथासंशोधित केविविआ (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म एवं संबंधित विषय) विनियम, 2022 के अनुसार की जाएगी :

परन्तु यह कि मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के विद्युत उत्पादन केन्द्र (पावर स्टेशन) की किसी विद्युत उत्पादन इकाई के क्रियाशील किये जाने की तिथि (COD) से पूर्व अन्तःक्षेपित की गई अशक्त विद्युत (infirm power) की गणना विचलन (Deviation) के रूप में की जाएगी तथा इसका भुगतान राज्य विचलन संकोष लेखे (State Deviation Pool Account) से प्रयोज्य विचलन दर (Deviation Rate) के अनुसार किया जाएगा।

- (10) ताप विद्युत उत्पादन इकाई (विक्रेता) के अनिवार्य अवरोध (forced outage) के प्रकरण में, विचलन हेतु प्रभार ऊर्जा प्रभार दर (energy charge rate) की दर से, चार काल खण्डों की उच्चतम अवधि हेतु या इसकी अनुसूची का पुनरीक्षण किये जाने तक, इनमें से जो भी पूर्व में घटित हो, लागू होंगे। घोषित क्षमता/अनुसूची के अभाव में विद्युत के अन्तःक्षेपण (injection) हेतु कोई भी प्रभार देय न होंगे।

- (11) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों, नर्मदा हायड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (NHDC) (इन्दिरा सागर परियोजना को छोड़कर), छोटे जल विद्युत उत्पादक, नगरपालिक ठोस

- अपशिष्ट संयन्त्रों तथा बाओमास विद्युत उत्पादकों (जिनकी स्थापित क्षमता 15 मेगावाट से कम है) को विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि के विस्तार क्षेत्र से छूट प्रदान की गई है।
- (12) राज्य की प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी (यथा, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी) के विचलन प्रभारों (Deviation Charges) की संगणना क्रेता श्रेणी हेतु (नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्य होने के कारण) हेतु समय-समय पर यथासंशोधित केविविआ (विचलन व्यवस्थापन मेकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम, 2022 में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार की जाएगी।
- (13) उपरोक्त उप-खण्ड (12) में उल्लेखित क्रेताओं को छोड़कर, तथा यथास्थिति (ऐसे क्रेता को छोड़कर भी जिसकी अनुसूची (शेड्यूल) 400 मेगावाट से कम है तथा नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्य है) या ऐसी श्रेणी का क्रेता है (जिसकी अनुसूची (शेड्यूल) 400 मेगावाट तक है), अन्य क्रेताओं हेतु, जैसे कि (रेलवे, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र), राज्य तन्त्र (नेटवर्क) से संयोजित निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेताओं या वे जिनका नियन्त्रण क्षेत्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र से संबद्ध है तथा राज्य के भीतर या बाहर से विद्युत का क्रय करते हों क्रेता हेतु विचलन प्रभारों की संगणना समय-समय पर यथासंशोधित केविविआ (विचलन व्यवस्थापन मेकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम, 2022 में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार की जाएगी।
- (14) मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों (पावर स्टेशनों), स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (IPPs), इन्दिरा सागर परियोजना (एनएचडीसी), बाओमास विद्युत उत्पादकों (Biomass Generators) (जिनकी स्थापित क्षमता 15 मेगावाट से अधिक है) या अन्य कोई ताप विद्युत उत्पादक (थर्मल जनरेटर) जो राज्य तन्त्र (नेटवर्क) से संयोजित है या जिनका नियन्त्रण क्षेत्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र से संबद्ध है तथा खुली पहुँच उपभोक्ता जो राज्य तन्त्र (नेटवर्क) से संयोजित हैं या जिनका नियंत्रण क्षेत्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र से सम्बद्ध है तथा राज्य के भीतर या बाहर से विद्युत का क्रय करते हैं, सामान्य विक्रेता हेतु, नदी प्रवाहित (run of river) विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा नगरपालिक ठोस अपशिष्ट आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र को छोड़कर, के लिये विचलन प्रभारों की संगणना समय-समय पर यथासंशोधित केविविआ

(विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम, 2022 में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार की जाएगी।

- (15) नगरपालिक ठोस अपशिष्ट संयन्त्रों पर आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिये विचलन प्रभार जो सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण सिद्धान्त (Merit Order Despatch Principle) के अधधीन हों, हेतु सामान्य विक्रेता (नगरपालिक ठोस अपशिष्ट पर आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र होने के कारण) के लिये संगणना समय-समय पर यथासंशोधित केविआ (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम, 2022 में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार की जाएगी।
- (16) क्षेत्रीय इकाई (Regional Entity) के विस्तार क्षेत्र (Periphery) की सीमा के अन्तर्गत खुली पहुंच हेतु विचलन प्रभारों की गणना हेतु विचलन दर (Deviation Rate) केविआ (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म क्रियाविधि) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट विचलन प्रभार की 105% (अधिक-आहरण या कम-उत्पादन हेतु) तथा 95% (कम-आहरण या अधिक-उत्पादन हेतु) होगी।
- (17) पवन तथा सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु विचलन प्रभारों की गणना समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थान, क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के अनुसार की जाएगी।
- (18) यदि विद्युत की आपूर्ति राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों से मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड की सहायक इकाईयों (Auxiliaries) के संचालन हेतु चाही गई हो तो विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत प्रदाय अनिवार्य रूप से करना होगा। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के विद्युत उत्पादन केन्द्रों की सहायक इकाईयों के संचालन हेतु की गई विद्युत की आपूर्ति को विद्युत उत्पादन केन्द्र (पावर स्टेशन) की सहायक विद्युत खपत माना जाएगा तथा इसे तत्संबंधी विद्युत वितरण कम्पनी के आहरण में से घटा दिया जाएगा।
- (19) विचलन प्रभारों का व्यवस्थापन, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संचालित किये जाने वाले राज्य डीएसएम संकोष लेखा के माध्यम से किया जाएगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (जिसका शाखा

कार्यालय जबलपुर में स्थित हो) के साथ एक पृथक बैंक खाता खोला तथा संधारित किया जाएगा।

(20) विचलन प्रभारों के भुगतान को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा संबंधित इकाई को दर्शाई गई राशि का भुगतान राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा वितरण पत्र जारी होने की तिथि से 7 (सात) दिवस के भीतर करना होगा। भुगतान में चूक होने पर चूककर्ता को विलंब भुगतान अधिभार का भुगतान 0.04% की दर से प्रति दिवस विलंब हेतु करना होगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विचलन के लिये मूलधन राशि तथा ब्याज राशि के घटक हेतु पृथक लेखा पुस्तकें संधारित की जाएंगी।

(21) कोई भी राज्यान्तरिक इकाई जिसके द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान इन विनियमों में निर्दिष्ट की गई समय सीमा के भीतर विचलन संबंधी प्रभारों के भुगतान में चूक की गई हो, को एक साख-पत्र खाता (Letter of credit) खोलना होगा जिसकी राशि पूर्व वित्तीय वर्ष में विचलन हेतु औसत साप्ताहिक देयता के 110% के बराबर होगी। यह खाता राज्य भार प्रेषण केन्द्र के पक्ष में चालू वित्तीय वर्ष प्रारंभ होनेके एक पखवाड़े (fortnight) के भीतर खोलना होगा।

उदाहरण : यदि विचलन हेतु राज्यान्तरिक इकाई की औसत साप्ताहिक देयता (Average Weekly Liability) वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रु. 2 करोड़ हो तो राज्यान्तरिक इकाई को वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु. 2.2 करोड़ के साख-पत्र के साथ खाता खोलना होगा।

(22) राज्य विचलन संकोष खाते में विचलन प्रभारों के विवरण जारी होने की तिथि से 7 दिवस के भीतर भुगतान में चूक किये जाने की स्थिति में राज्य भार प्रेषण केन्द्र को चूक किये जाने की सीमा तक संबंधित राज्य इकाई के साख पत्र को भुनाने (encash) का अधिकार होगा तथा संबंधित राज्य इकाई साख पत्र की राशि की प्रतिपूर्ति (recoup) तीन दिवस के भीतर करेगी।

राज्य प्रतिक्रियाशील लेखा (State Reactive Account)

(23) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिताओं की अर्हताओं के अनुपालन में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, पश्चिम क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र वेबसाइट पर राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार राशि की उपलब्धता के पश्चात्, सप्ताह के अंतिम दिवस से 10 दिवस के भीतर या फिर बाद में किसी तिथि को,

साप्ताहिक राज्य प्रतिक्रियाशील लेखा (SRA) तैयार कर विद्युत वितरण कम्पनियों को जारी करेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र आवश्यकतानुसार समय-समय पर राज्य प्रतिक्रियाशील लेखे को पुनरीक्षित करेगा।

राज्य प्रतिक्रियाशील लेखे में मोटे तौर पर निम्न जानकारी सम्मिलित की जाएगी :

- (क) प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, न्यून वोल्टेज (<97%) तथा उच्च वोल्टेज (>103%) के दौरान दिवसवार शुद्ध प्रतिक्रियाशील ऊर्जा अन्तःक्षेपण/आहरण के विवरण ;
- (ख) प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, न्यून वोल्टेज (<97%) तथा उच्च वोल्टेज (>103%) के दौरान साप्ताहिक कुल शुद्ध प्रतिक्रियाशील ऊर्जा अन्तःक्षेपण/आहरण की संक्षेपिका ;
- (ग) राज्यान्तरिक इकाई (नवीकरणीय ऊर्जा विद्यु उत्पादकों को छोड़कर) द्वारा भुगतान-योग्य/प्राप्ति-योग्य प्रतिक्रियाशील प्रभारों की संक्षेपिका (टीप : प्रतिक्रियाशील ऊर्जा की दर समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय ग्रिड संहिता के अनुसार ली जाएगी) ; तथा
- (घ) अन्य कोई ब्यौरे, जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्य प्रतिक्रियाशील लेखा को संपूर्ण किये जाने के संबंध में आवश्यक समझे।

(24) - राज्य में प्रतिक्रियाशील ऊर्जा संव्यवहारों हेतु निम्नलिखित नियम लागू होंगे :

- (क) वोल्टेज 97% से कम होने पर, आहरण हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा (+) भुगतान-योग्य राशि ;
- (ख) वोल्टेज 97% से कम होने पर, अन्तःक्षेपण हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा (-) प्राप्ति-योग्य राशि ;
- (ग) वोल्टेज 103% से अधिक होने पर, अन्तःक्षेपण हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा (+) भुगतान-योग्य राशि ;
- (घ) वोल्टेज 103% से अधिक होने पर, आहरण हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा (-) प्राप्ति-योग्य राशि ।

(25) - उपरोक्त में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी दशा में जब ग्रिड की सुरक्षा अथवा किसी उपकरण का बचाव संकटापन्न हो तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र किसी विद्युत वितरण कम्पनी को उसके प्रतिक्रियाशील आहरण/

अन्तःक्षेपण में कटौती किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित कर सकेगा। राज्य ग्रिड से संयोजित समस्त विद्युत उत्पादन केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विद्युत उत्पादन इकाईयों की क्षमता सीमाओं के अन्तर्गत प्रतिक्रियाशील ऊर्जा का उत्पादन/अन्तर्लयन (absorb) करेंगे।

(26) प्रतिक्रियाशील ऊर्जा का व्यवस्थापन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित

-- किया जाएगा :

नाम पद्धति (पारिभाषिक शब्दावली) :

आरआरसी (RRC) : मध्यप्रदेश राज्य द्वारा भुगतान-योग्य (+)/ प्राप्ति-योग्य (-) क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभारों तथा अन्तर्राज्यीय द्विपक्षीय प्रतिक्रियाशील प्रभारों का योग।

एसआरसीपी (SRCP) : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा भुगतान-योग्य (+) कुल राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार होंगे।

एसआरसीआर (SRCR) : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्राप्ति-योग्य (-) कुल राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार होंगे।

-- आरआरए (RRA) : राज्य प्रतिक्रियाशील लेखा में उपलब्ध प्रतिक्रियाशील आरक्षित राशि होगी (अर्थात् बचत की अधिशेष राशि, जो पूर्व के समस्त प्रतिक्रियाशील लेन-देन संव्यवहारों के व्यवस्थापन के पश्चात् उपलब्ध होगी)।

(क) प्रकरण प्रथम : यदि क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार, मध्यप्रदेश राज्य द्वारा भुगतान-योग्य (+) हैं तथा (क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार + राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार, प्राप्ति-योग्य) राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार भुगतान-योग्य से कम है : शेष राशि को प्रतिक्रियाशील संचिति के रूप में, क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार तथा राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार प्राप्ति-योग्य के भुगतान के पश्चात् रखा जाएगा।

(ख) प्रकरण-द्वितीय : यदि क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार मध्यप्रदेश राज्य द्वारा भुगतान-योग्य (+) हैं तथा क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार + राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार, प्राप्ति-योग्य, राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार भुगतान-योग्य से अधिक है : बचत राशि यदि कोई हो, जो प्रतिक्रियाशील संचिति राशि के रूप में, उपलब्ध हो, को वापस आहरित

किया जाएगा ताकि इसका मिलान (क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार + राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार प्राप्ति-योग्य) तथा राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार भुगतान-योग्य से किया जा सके। यदि कोई संचिति अर्थात् आपूर्ति रिजर्व उपलब्ध न हो अथवा यदि यह घाटे की आपूर्ति हेतु अपर्याप्त हो तो राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार प्राप्ति-योग्य को समुचित रूप से कम किया जाएगा ताकि वह कुल भुगतान-योग्य तथा कुल प्राप्ति योग्य राशियों से मेल खाये।

- (ग) प्रकरण-तृतीय : यदि क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्राप्ति-योग्य (-) है तथा क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार + राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार, प्राप्ति-योग्य, राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार प्राप्ति-योग्य से कम है : तो ऐसी दशा में कुल राज्य प्रतिक्रियाशील प्राप्ति-योग्य के भुगतान के पश्चात् शेष राशि को प्रतिक्रियाशील संचिति राशि (आरआरए) के रूप में रखा जाएगा।
- (घ) प्रकरण-चतुर्थ : यदि क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्राप्ति-योग्य (-) हैं तथा क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार + राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार, प्राप्ति-योग्य, राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार प्राप्ति-योग्य से अधिक है : बचत राशि यदि कोई हो, जो संचित (आरआरए) के रूप में उपलब्ध हो, को वापस आहरित किया जाएगा ताकि इसका मिलान (क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार + राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार भुगतान-योग्य) तथा राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार प्राप्ति-योग्य से किया जा सके। यदि कोई संचित राशि उपलब्ध न हो अथवा यदि यह घाटे की आपूर्ति हेतु अपर्याप्त हो तो ऐसी दशा में राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार प्राप्ति-योग्य को समुचित रूप से कम किया जाएगा ताकि वह कुल भुगतान-योग्य तथा प्राप्ति-योग्य से मेल खाये।
- (ङ) प्रकरण-पंचम : यदि राज्य प्रतिक्रियाशील प्रभार विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्राप्ति-योग्य हों तथा कोई भी क्षेत्रीय प्रतिक्रियाशील प्रभार प्राप्ति-योग्य न हों तथा संचित (आरआरए) में कोई शेष राशि उपलब्ध न हो तो ऐसी दशा में विद्युत वितरण कम्पनियों को कोई भी प्रतिक्रियाशील प्रभार भुगतान-योग्य न होंगे।

(27) प्रतिक्रियाशील प्रभारों (Reactive Charges) के भुगतान को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा संबंधित इकाई को देय राशियों का भुगतान राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा राज्य प्रतिक्रियाशील लेखा विवरण-पत्र जारी होने के सात (7) दिवस के भीतर करना होगा। देय राशि के भुगतान में चूक होने पर विलम्ब भुगतान अधिभार का भुगतान 0.04% की दर से प्रति दिवस विलम्ब हेतु देय होगा। प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों का समस्त व्यवस्थापन भुगतान राज्य प्रतिक्रियाशील लेखे के माध्यम से किया जाएगा जिसका संधारण तथा संचालन राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाएगा। राज्य प्रेषण केन्द्र दोनों विचलन प्रभारों तथा प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों के लिये व्यवस्थापन भुगतान की राशि के भुगतान के लिये एकल बैंक खाता संधारित कर सकेगा परन्तु इसके लिए लेखे खाते पृथक-पृथक संधारित करने होंगे।

(28) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रतिक्रियाशील ऊर्जा हेतु प्रभार मूलधन राशि तथा ब्याज घटक के लिए पृथक-पृथक पुस्तकों में संधारित किये जाएंगे।

8. विचलन प्रभारों के असन्तुलित व्यवस्थापन की प्रक्रिया (Procedure for Imbalance Settlement of Deviation Charges)

इस संहिता के उपबंधों के अनुरूप राज्यान्तरिक इकाईयों हेतु विचलन प्रभारों के असन्तुलित व्यवस्थापन का उदाहरण परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

9. आंकड़ा अभिलेखों की आवश्यकताएं (Data Archiving Requirements)

समस्त इकाईयों द्वारा समाप्त अभिलेख/जानकारी/आंकड़े निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट की गई समयावधि हेतु उचित रूप से सुरक्षित रखे जाएंगे। ये अभिलेख किसी भी समय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अथवा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा नियुक्त किये गये किसी स्वतंत्र लेखा-परीक्षण अभिकरण (एजेंसी) द्वारा अंकेक्षण के प्रयोजन हेतु सुगमता से पुनः अधिष्ठापित किये जाने के सुयोग्य रखे जायेंगे :

अनु. क्रमांक	अभिलेख/जानकारी/आंकड़े	प्रकार तथा उसकी कालावधि	उत्तरदायित्व
1	राज्यान्तरिक इकाईयों द्वारा लघु-अवधि खुली पहुंच तथा संबद्ध संविदाएं/अनुबन्ध	इलेक्ट्रॉनिक-2 वर्ष पत्रों पर-12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
2	समस्त राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्रों/स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों/नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों की घोषित क्षमता तथा समस्त	इलेक्ट्रॉनिक-2 वर्ष पत्रों पर-12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र, उत्पादन नियन्त्रण केन्द्र

	अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों में स्वत्वाधिकार (समस्त पुनरीक्षणों सहित)		
3.	प्रत्येक वितरण कम्पनी की मांग, स्वत्वाधिकार तथा मांग पत्र (समस्त पुनरीक्षणों सहित)	इलेक्ट्रॉनिक-2 वर्ष पत्रों पर-12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र, वितरण नियन्त्रण केन्द्र (डीसीसी)
4.	लघु अवधि खुली पहुंच संव्यवहार द्विपक्षीय संव्यवहार (प्रत्यक्ष तथा व्यापारियों के माध्यम से) तथा विद्युत विनिमय केन्द्रों के माध्यम से सामूहिक संव्यवहार	इलेक्ट्रॉनिक-2 वर्ष पत्रों पर-12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र, वितरण नियन्त्रण केन्द्र (डीसीसी)
5.	अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादन केन्द्र, विक्रेता, क्रेता की अनुसूचियां (समस्त पुनरीक्षणों सहित)	इलेक्ट्रॉनिक-2 वर्ष पत्रों पर-12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र, उत्पादन नियन्त्रण केन्द्र, वितरण नियंत्रण केन्द्र
6.	राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र, क्रेता के अन्तरापृष्ठों से उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) मापयन्त्र आंकड़े 15-मिनट के समय खण्ड में	इलेक्ट्रॉनिक-2 वर्ष पत्रों पर-12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
7.	राज्य भार प्रेषण केन्द्र के राज्यान्तरिक इकाईयों को दिशा-निर्देशों के विवरण	इलेक्ट्रॉनिक-2 वर्ष पत्रों पर-12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
8.	राज्य भार प्रेषण केन्द्र को राज्यान्तरिक इकाईयों के अनुरोध संबंधी विवरण	इलेक्ट्रॉनिक-2 वर्ष पत्रों पर-12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
9.	परिचालन, वाणिज्यिक वितरण नियंत्रण केन्द्र अथवा विपणन अंकेक्षण के प्रयोजन से अन्य कोई जानकारी जो आवश्यक समझी जाए।	इलेक्ट्रॉनिक-2 वर्ष पत्रों पर-12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र, उत्पादन नियन्त्रण केन्द्र, वितरण नियंत्रण केन्द्र

10. विपणन अंकेक्षण हेतु स्थाई समिति (Standing Committee For Market Audit)

(1) आयोग, विपणन संव्यवहारों की स्वतंत्र समीक्षा व अंकेक्षण हेतु तथा राज्यान्तरिक इकाईयां जिन्हें संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता लागू होती हो, के आचरण पर निगरानी हेतु एक स्थाई समिति की नियुक्ति कर सकेगा। इस समिति में निम्न सदस्य होंगे :

- (क) राज्य भार प्रेषण केन्द्र से एक प्रतिनिधि (जो मुख्य अभियंता या समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी होगा)- स्थाई समिति का अध्यक्ष
- (ख) राज्य पारेषण इकाई से एक प्रतिनिधि (जो मुख्य अभियंता या समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी होगा) ;

- (ग) मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से एक प्रतिनिधि (जो मुख्य महाप्रबंधक पद या समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी होगा) ;
- (घ) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड से एक प्रतिनिधि (जो मुख्य अभियंता या समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी होगा) ;
- (ङ) तीन विद्युत वितरण कम्पनियों से एक प्रतिनिधि (प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी से चक्रानुक्रम अनुसार एक वर्ष की अवधि हेतु जो मुख्य महाप्रबंधक या समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी होगा) ;
- (च) नेशनल हाईड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (जिनकी स्थापित क्षमता 250 मेगावाट तथा इससे अधिक हो) तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों (जिनकी स्थापित क्षमता एकल स्थान पर 50 मेगावाट या इससे अधिक हो) से एक प्रतिनिधि एक वर्ष के लिये चक्रानुक्रम अनुसार ; तथा
- (छ) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र/विद्युत वितरण कम्पनी, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड/मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड /राज्य पारेषण इकाई से एक प्रमाणित ऊर्जा अंकेक्षक जिसे स्थाई समिति द्वारा समिति को ऊर्जा अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नामांकित किया जाएगा।

(2) अंकेक्षण कार्य वर्ष में दो बार निष्पादित किया जाएगा तथा समिति आयोग को अंकेक्षण कार्य प्रारंभ किये जाने से साठ दिवस के भीतर अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

(3) समिति, आयोग को परिवर्धनों तथा सुझावों (यदि कोई हों) की अनुशंसा करेगी। आयोग, तदनुसार आवश्यकता पड़ने पर, संबंधित धारा अथवा आदेश अथवा प्रक्रिया को संशोधित तथा अधिसूचित कर सकेगा।

11. संहिता की प्रयोज्यता (Applicability of Code)

यह संहिता समस्त राज्य पारेषण नेटवर्क से जुड़े विक्रेता तथा क्रेता जिनका ऊर्जा लेखांकन राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जा रहा है, इसके लागू होने की तिथि से प्रयोज्य होगी जैसा कि इस संबंध में पृथक से आयोग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाए।

12. कठिनाइयां दूर करने की शक्तियां

- (1) इस संहिता के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर आयोग, किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण इकाई और/या राज्यान्तरिक इकाईयों में से किसी भी इकाई को उचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित कर सकेगा जो अधिनियम के उपबन्धों के असंगत नहीं होंगी जो आयोग को कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो।
- (2) -- इस संहिता के लागू किये जाने पर उत्पन्न होने वाली कठिनाईयां दूर किये जाने हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण इकाई और/या राज्यान्तरिक इकाईयों में से कोई भी इकाई आयोग को आवेदन प्रस्तुत कर उचित आदेश पारित किये जाने हेतु भी निवेदन कर सकेंगी।

13. संशोधन की शक्ति

आयोग किसी भी समय आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए इस संहिता के किन्हीं उपबन्धों में परिवर्धन, परिवर्तन, सुधार, उपांतरण या संशोधन कर सकेगा।

14. व्यावृत्ति

- (1) संहिता अर्थात् "मध्यप्रदेश विद्युत संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015 {आरजी-34(1), वर्ष 2015} एतद् द्वारा निरसित की जाती है।
- (2) इस संहिता में की गई कोई भी बात, आयोग को अन्तर्निहित शक्तियों को ऐसे आदेश जो न्यायहित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोष रोकने के लिये जारी करना आवश्यक है, सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी।
- (3) इस संहिता की कोई भी बात, आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, लिखित कारणों सहित यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने में नहीं रोकेगा जो इन संहिता के किन्हीं प्रावधानों से अन्यथा हो।
- (4) -- इस संहिता की कोई भी बात, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से आयोग को, किसी विषय या अधिनियम के अधीन किन्हीं शक्तियों के प्रयोग से वर्जित नहीं करेगी जिसके लिए कोई विनियम या संहिता नहीं बनाई गई हो तथा आयोग ऐसे विषयों, अधिकारों, शक्तियों तथा कृत्यों उसी प्रकार से, जैसा वह उचित समझे, कार्यवाही कर सकेगा।

टीप : इस मध्यप्रदेश विद्युत संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2023 के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचना या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्त पाण्डा, आयोग सचिव.

परिशिष्ट

**राज्यान्तरिक इकाईयों के विचलन प्रभारों पर असंतुलन व्यवस्थापन संबंधी प्रक्रिया
(Procedure For Imbalance Settlement of Deviation Charges of Intra State Entities)**

<p>विचलन प्रभारों का संकोष सन्तुलन (Pool balancing) तीन चरणों में किया जाएगा, प्रथम चरण में राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों (म.क्षे., पू.क्षे. एवं प.क्षे.) के कुल विचलन प्रभारों तथा क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (DSM) का पूर्व संकोष सन्तुलन किया जाएगा, विद्युत वितरण कम्पनियों के कुल विचलन प्रभार (भुगतान-योग्य/प्राप्ति-योग्य) का दिवस स्तर पर मिलान किया जाएगा ताकि अन्य राज्यान्तरिक इकाईयों पर अनावश्यक समायोजन से बचा जा सके : दूसरे चरण में खुली पहुंच क्रेताओं को छोड़कर समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों का दीर्घ-अवधि के अन्तर्गत द्वितीय चरण संकोष सन्तुलन किया जाएगा तथा तृतीय चरण में खुली पहुंच क्रेताओं तथा उत्पादक जो अशक्त ऊर्जा का अन्तःक्षेपण करते हैं, को सम्मिलित किया जाएगा। तृतीय चरण में खुली पहुंच क्रेता को छोड़कर तथा उत्पादक जो अशक्त ऊर्जा (infirm power) का अन्तःक्षेपण करते हैं को सम्मिलित करने का उद्देश्य यह है कि खुली पहुंच क्रेताओं से सामान्य समायोजन हो जाता है भले ही मप्र द्वारा क्षेत्रीय विचलन की भुगतान-योग्य/प्राप्ति-योग्य राशि अत्यधिक हो।</p>
<p>चरण-1 राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों (म.क्षे, पू.क्षे और प.क्षे) के कुल विचलन प्रभारों का पूर्व संकोष सन्तुलन (पूल बैलेंसिंग) तथा क्षेत्रीय DSM राशि</p> <p>प्रत्येक राज्य विद्युत वितरण कम्पनी (म.क्षे., पू.क्षे. एवं प.क्षे.) के ब्लाक वार विचलन प्रभारों की गणना सप्ताह के अन्त में की जाएगी। ब्लाक वार DSM प्रभारों का दिवस स्तर पर योग किया जाएगा ताकि कुल DSM प्रभारों को दिवस हेतु प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी (म.क्षे., पू.क्षे. एवं प.क्षे.) भुगतान-योग्य/प्राप्ति-योग्य बनाया जा सके। मध्यप्रदेश राज्य द्वारा भुगतान-योग्य/प्राप्ति-योग्य कुल क्षेत्रीय विचलन प्रभारों की राशि क्षेत्रीय DSM लेखा से प्राप्त की जाती है जिसे 'WRPC' द्वारा तैयार किया जाता है।</p>
<p>माना कि किसी सप्ताह में एक दिवस को :</p> <p>प्रत्येक राज्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा भुगतान-योग्य राशि, माना कि D1=4500, D2=3000, D3=2000 है तथा क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि राशि (DSM) विचलन प्रभार राशि मप्र द्वारा भुगतान-योग्य तथा प्राप्ति-योग्य = 7000 है, जहां D1, D2, D3 राज्य विद्युत वितरण कम्पनियां (CZ, EZ तथा WZ) हैं।</p>

यदि कुल भुगतान-योग्य/प्राप्ति-योग्य DSM प्रभार प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी (CZ, EZ तथा WZ) एक दिवस हेतु एक ही दिशा की ओर हैं (अर्थात् भुगतान-योग्य/प्राप्ति-योग्य हैं तथा क्षेत्रीय DSM राशि भी राज्य संकोष (Pool) से भुगतान-योग्य/प्राप्ति-योग्य है तो विद्युत वितरण कम्पनियों तथा क्षेत्र की कुल भुगतान-योग्य/प्राप्ति-योग्य राशि का अन्तर समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों को उनके DSM प्रभारों के अनुपात में होगा			
विवरण			
समायोजित राशि –(विद्युत वितरण कम्पनी की मूल DSM राशि/समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों का कुल DSM राशि) x क्षेत्रीय DSM राशि			
विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा देय राशि			
सहभागीगण	मूल भुगतान-योग्य	समायोजित राशि	
D1	4500	(4500/9500) x 7000 = 3316	
D2	3000	(3000/9500) x 7000 = 2210	
D3	2000	(2000/9500) x 7000 = 1474	
कुल भुगतान योग्य राशि	9500	7000	
राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों के कुल विचलन प्रभारों का पूर्व संकोष संतुलन			
सहभागियों द्वारा भुगतान-योग्य राशि		सहभागियों द्वारा प्राप्ति-योग्य राशि	
D1	3316	क्षेत्रीय DSM राशि	7000
D2	2210		
D3	1474		
कुल भुगतान योग्य राशि	7000		
यदि दिवस हेतु प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी (CZ, EZ तथा WZ) द्वारा भुगतान-योग्य/प्राप्ति-योग्य कुल DSM प्रभार एक ही दिशा में न हों तो (अर्थात् भुगतान-योग्य/प्राप्ति-योग्य), उनका मिलान करने के प्रयोजन से "कुल भुगतान-योग्य" तथा "कुल प्राप्ति-योग्य" को आधार के रूप में लिया जाता है तथा भुगतान-योग्य/प्राप्ति योग्य का औसत के लिये मिलान किया जाता है।			
विद्युत वितरण कम्पनियों (CZ, EZ, तथा WZ) के कुल विचलन प्रभार तथा क्षेत्रीय DSM राशि (किसी सप्ताह में किसी दिये गये दिवस हेतु)			
सहभागियों द्वारा भुगतान-योग्य राशि		सहभागियों द्वारा प्राप्ति-योग्य राशि	
सहभागीगण	रूपये	सहभागीगण	रूपये
D2	3000	D1	4500
D3	2000	क्षेत्रीय DSM राशि	7000
कुल भुगतान-योग्य राशि	5000	कुल प्राप्ति-योग्य	11500
इस प्रकार, राज्य विचलन संकोष को/से भुगतान-योग्य तथा प्राप्ति-योग्य राशियां किसी दिये गये दिवस के लिये मेल नहीं खाती हैं। अतएव, इनका मिलान करने के लिये "कुल भुगतान-योग्य" तथा "कुल प्राप्ति-योग्य" के औसत को आधार के रूप में लिया जाता है तथा भुगतान-योग्य/प्राप्ति-योग्य राशियों का औसत हेतु मिलान किया जाता है।			
विवरण	कुल भुगतान-योग्य राशि	कुल प्राप्ति-योग्य राशि	
महायोग (Sum Total)	5000	11500	
"कुल भुगतान-योग्य" तथा "कुल प्राप्ति-योग्य राशियों" का औसत	8250		
समायोजन अनुपात # AR _{p1} (= औसत/ कुल भुगतान-योग्य राशि)	1.650000		
समायोजन अनुपात # AR _{R1} (= औसत/	0.71391		

कुल प्राप्ति-योग्य राशि)			
विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा भुगतान-योग्य राशि			
सहभागीगण	मूल भुगतान-योग्य	समायोजन अनुपात	समायोजित भुगतान-योग्य
D2	3000	1.650000	4950
D3	2000	1.650000	3300
कुल भुगतान-योग्य	5000		8250
विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्राप्ति-योग्य राशि			
सहभागीगण	मूल प्राप्ति-योग्य	समायोजन अनुपात AR _{R1}	समायोजित प्राप्ति-योग्य
D1	4500	0.71391	3228
क्षेत्रीय DSM राशि	7000	0.71391	5022
कुल प्राप्ति-योग्य	115000		8250
चूंकि क्षेत्रीय DSM राशि का भुगतान बिना किसी समायोजन के किया जाना चाहिए, ऐसे में समायोजित क्षेत्रीय DSM राशि तथा मूल क्षेत्रीय DSM राशि में अन्तर की वसूली अवशेष सहभागी से उनकी मूल राशियों के अनुपात में की जानी चाहिए			
समायोजित DSM राशि तथा वास्तविक क्षेत्रीय DSM राशि में अन्तर			5022-7000=-1978
मूल कुल प्राप्ति-योग्य राशियां वास्तविक क्षेत्रीय DSM राशि को छोड़कर			11500-7000=4500
प्राप्ति-योग्य राशियों हेतु समायोजन अनुपात AR _{R2}			-1978/4500=-.439613527
द्वितीय प्रक्रम समायोजन			
सहभागीगण	मूल प्राप्ति-योग्य	समायोजन अनुपात AR _{R1}	भुगतान-योग्य समायोजित
D1	4500	-0.439613527	-1978
कुल प्राप्ति-योग्य राशि	4500		-1978
सहभागियों द्वारा प्राप्ति-योग्य राशि (किसी सप्ताह में दिये गये दिवस हेतु) - अन्तिम			
सहभागीगण	प्रथम समायोजन के बाद राशि	द्वितीय समायोजन राशि	कुल (अन्तिम) समायोजित अनुपात
D1	3228	-1978	1250
क्षेत्रीय DSM राशि	7000	0	7000
कुल प्राप्ति-योग्य	10228		8250
राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों के कुल विचलन प्रभारों का पूर्व संकोष सन्तुलन			
सहभागियों द्वारा भुगतान-योग्य राशि		सहभागियों द्वारा प्राप्ति-योग्य राशि	
सहभागीगण	रूपये	सहभागीगण	रूपये
D2	4950	D1	1250
D3	3300	क्षेत्रीय DSM राशि	7000
कुल भुगतान-योग्य राशि	8250	कुल प्राप्ति-योग्य राशि	8250
चरण-2 {समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों की (दीर्घ कालीन के अन्तर्गत) संकोष संतुलन (पूल बैलेंसिंग), खुली पहुंच क्रेताओं को छोड़कर }			
दिवसवार विद्युत वितरण कम्पनियों (CZ, EZ तथा WZ) के कुल विचलन प्रभार जैसा कि वे चरण-1 से प्राप्त किये गये हैं, लिया जाता है तथा अन्य दीर्घ-अवधि राज्यान्तरिक इकाईयों के कुल विचलन प्रभारों को क्षेत्रीय राशि (भुगतान-योग्य/प्राप्ति-योग्य) के साथ सम्मिलित किया जाता है तथा संकोष सन्तुलन किया जाता है। किसी दिवस हेतु प्रत्येक सहभागी हेतु कुल DSM प्रभारों को भुगतान-योग्य/प्राप्ति-योग्य बनाने हेतु अन्य राज्यान्तरिक इकाईयों के खण्डवार			

विचलन प्रभारों को दिवस स्तर पर जोड़ा जाता है।			
राज्य DSM संकोष लेखा (किसी सप्ताह/मास में दिये गये दिवस हेतु)			
सहभागियों द्वारा भुगतान-योग्य राशि		सहभागियों द्वारा प्राप्ति-योग्य राशि	
सहभागीगण	रूपये	सहभागीगण	रूपये
D2	4950	D1	1250
D3	3300	D4	500
D5	1000	SSGS3	3500
SSGS1	3500	क्षेत्रीय DSM राशि	7000
SSGS2	1500		
कुल भुगतान योग्य राशियां	14250	कुल प्राप्ति-योग्य राशियां	12250
जहां D4 तथा D5 अन्य विद्युत वितरण कम्पनियां (विशेष आर्थिक परिक्षेत्र और रेलवे) हैं SSGS1, SSGS2, SSGS3, राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्र हैं।			
राज्य विचलन संकोष को/से भुगतान-योग्य तथा प्राप्ति-योग्य राशि का किसी दिवस हेतु मिलान नहीं हो रहा है। इनका मिलान किये जाने के प्रयोजन से "कुल भुगतान-योग्य" तथा "कुल प्राप्ति-योग्य" राशियों के औसत को औसत के रूप में मिलान किया जाता है।			
विवरण	कुल भुगतान-योग्य राशि	कुल प्राप्ति-योग्य राशि	
महायोग (Sum Total)	14250	12250	
"कुल भुगतान-योग्य" तथा "कुल प्राप्ति-योग्य राशियों" का औसत	13250		
समायोजन अनुपात # AR _{R1} (= औसत/कुल भुगतान-योग्य राशि)	0.929825		
समायोजन अनुपात # AR _{R1} (= औसत कुल प्राप्ति-योग्य राशि)	1.081633		
प्रक्रम प्रथम समायोजन			
सहभागियों द्वारा भुगतान-योग्य राशि-प्रथम समायोजन			
सहभागीगण	मूल राशि भुगतान-योग्य	समायोजन अनुपात AR _{R1}	समायोजित भुगतान-योग्य
D2	4950	0.929825	4603
D3	3300	0.929825	3068
D5	1000	0.929825	930
SSGS1	3500	0.929825	3254
SSGS2	1500	0.929825	1395
कुल भुगतान-योग्य राशियां	14250		13250
सहभागियों द्वारा प्राप्ति-योग्य राशि-प्रथम समायोजन			
सहभागीगण	मूल राशि प्राप्ति-योग्य	समायोजन अनुपात ARP ₁	समायोजित प्राप्ति-योग्य राशि
D1	1250	1.081633	1352
D4	500	1.081633	541
SSGS3	3500	1.081633	3786

क्षेत्रीय DSM राशि	7000	1.081633	7571
कुल प्राप्ति-योग्य राशियां	12250		13250
चूंकि क्षेत्रीय DSM राशि का भुगतान बिना किसी समायोजन के किया जाना चाहिए, अतः "वास्तविक क्षेत्रीय DSM राशि तथा "समायोजित DSM राशि" की वसूली शेष सहभागियों से उनकी मूल राशि के अनुपात में की जाएगी			
समायोजित DSM राशि तथा वास्तविक क्षेत्रीय DSM राशि में अन्तर		7571-7000=571	
मूल प्राप्ति-योग्य राशियां, वास्तविक क्षेत्रीय DSM राशि को छोड़कर		12250-7000=5250	
प्राप्ति-योग्य राशियों हेतु समायोजन अनुपात # AR _{R2}		571/525=0.108844	
द्वितीय प्रक्रम समायोजन			
सहभागीगण	मूल प्राप्ति-योग्य राशियां	समायोजन अनुपात AR _{R1}	समायोजित प्राप्ति-योग्य राशियां
D1	1250	0.108844	136
D4	500	0.108844	54
SSGS3	3500	0.108844	381
कुल भुगतान-योग्य राशियां	5250		571
सहभागियों द्वारा प्राप्ति-योग्य राशि (किसी सप्ताह में किसी दिवस हेतु) अन्तिम			
सहभागीगण	प्रथम समायोजन राशि	द्वितीय समायोजन राशि	कुल (अन्तिम) समायोजित राशि
D1	1352	136	1488
D4	541	54	595
SSGS3	3786	381	4167
क्षेत्रीय DSM राशि	7000	0	7000
कुल प्राप्ति-योग्य राशियां	12679		13250
दीर्घ-अवधि इकाईयों का सन्तुलित राज्य DSM संकोष लेखा			
सहभागीगण	रूपये भुगतान-योग्य	सहभागीगण	रूपये
D2	4603	D1	1488
D3	3068	D4	595
D5	930	SSGS3	4167
SSGS1	3254	क्षेत्रीय DSM राशि	7000
SSGS2	1395		
कुल भुगतान योग्य राशियां	13250	कुल प्राप्ति-योग्य राशि	13250
चरण-3 (प्रक्रम I तथा II)			
चरण-2 के अन्तर्गत सन्तुलित DSM संकोष लेखा प्राप्त करने के पश्चात्, खुली पहुंच विद्युत उत्पादक/खुली पहुंच उपभोक्ता (लघु अवधि) के अन्तर्गत तथा विद्युत उत्पादक जो अशक्त ऊर्जा अन्तःक्षेपित करते हैं को सम्मिलित किया जाता है तथा अन्तिम सन्तुलित DSM संकोष लेखा प्राप्त करने हेतु (चरण-2) के अनुरूप क्रियाविधि अपनाई जाती है।			

Bhopal, the 22nd December 2023

No. 2896/MPERC/2023 In exercise of the powers conferred by Section 181 read with sub-clause (i) of clause (d) of sub-section (2) of section 39, sub-clause (i) of clause (c) of section 40, section 66, and clause (i) of sub-section (2) and clause (c) of sub-section (1) of section 86 of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby, revises the Madhya Pradesh Balancing and Settlement Code, 2015 [(RG-34 (I) of 2015)]and makes the following Code, namely: -

MADHYA PRADESH ELECTRICITY BALANCING AND SETTLEMENT CODE, 2023

1. **Preamble:** -The National Electricity Policy (NEP) envisages implementation of the Availability Based Tariff (ABT) at State level to establish a credible settlement mechanism for Intra-day power transfers among State Entities. As per the Tariff Policy, this framework should be extended to Generating Stations (including Grid connected Captive Plants of capacities as determined by the State Electricity Regulatory Commission). The Balancing and Settlement Code, 2015 [Code, 2015 [(RG-34 (I))]]had been specified to give effect to the intentions of Section 5.7.1(b) and (d) of the National Electricity Policy as well as section 6.2(1) and 6.3 of the Tariff Policy. Central Electricity Regulatory Commission has subsequently notified CERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2022 and repealed the CERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2014. In view of the aforesaid, the Madhya Pradesh Electricity Balancing and Settlement Code, 2023 is hereby notified.

2. Short title, extent of application and commencement

- (1) This Code may be called the “**Madhya Pradesh Electricity Balancing and Settlement Code, 2023 [RG 34 (II) of 2023]**”
- (2) This Code shall apply within the geographical area of the State of Madhya Pradesh and shall apply to all Intra State Entities connected to Intra State

Transmission Network and selling power within / outside the State or purchasing power from within or outside the State in a manner as specified in this Code.

- (3) This Code shall come into force on such date as may be notified by the Commission separately.

3. (1) **Definitions:** -In this Code, unless the context otherwise requires:

- (a) **“Act”** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) **“Buyer”** means a person purchasing electricity through a transaction scheduled in accordance with Grid Code;
- (c) **“CERC”** means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in section 76 of the Act;
- (d) **“CMRI”** means Common Meter Reading Instrument used for downloading and storage of data from electronic energy meters of multiple make;
- (e) **“Commission”** means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (MPERC) constituted under Section 82 of the Act;
- (f) **“Day”** means a continuous period starting at 00.00 hours and ending at 24.00 hours;
- (g) **“Detailed Procedure”** means the detailed operating procedure issued by the State Load Despatch Centre under this code;
- (h) **“Deviation”** in a time-block for a seller of electricity means its total actual injection minus its total scheduled generation; and for a buyer of electricity means its total actual drawal minus its total scheduled drawal;

- (i) **“Deviation Charges”** means the charges computed as per the rates and methodology as specified by the Central Electricity Regulatory Commission from time to time;
- (j) **“Deviation Settlement Mechanism Regulations”** means Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2022 and subsequent amendments thereof;
- (k) **“Discom Control Centre (DCC)”** means the Control Room established at each Discom Headquarters with necessary Infrastructure and Human Resources for implementation of this Code, which shall be built, owned, operated and maintained by respective Discom;
- (l) **“Discom Energy Accounting Group (DEAG)”** means the group to be formed by each Discom at DCC, which would be responsible for implementation of this Code in coordination with State Load Despatch Centre (wherever required);
- (m) **“Distribution Licensee or Discom”** means a Licensee authorized to operate and maintain a Distribution System for supplying electricity to the consumers in his area of supply;
- (n) **“Drawal Schedule or Scheduled Drawal”** for a Buyer in a time block or any period means the Schedule of Drawal in MW or MWh Ex-bus given by the State Load Despatch Centre.;
- (o). **“Energy Accounting Group (EAG)”** means the group to be formed at the State Load Despatch Centre which would be responsible for implementation of this Code;
- (p). **“Entitlement”** means share of a Discom or an Open Access Customer (in Mega Watt and Mega Watt Hour) in the installed Capacity/output Capacity of an Electricity Generating Station;

- (q) **“Ex-Power Plant”** means net Mega Watt / Mega Watt hour output of an Electricity Generating Station, after deducting Auxiliary consumption and Transformation losses;
- (r) **“Generator Control Centre (GCC)”** means the control room established at Headquarters of the generating company with necessary Infrastructure and Human Resources for implementation of this Code, which shall be built, owned, operated and maintained by Madhya Pradesh Power Generating Company Limited;
- (s) **“Grid”** means the high Voltage backbone system of inter-connected Transmission lines, Sub-Stations and Generating plants;
- (t) **“Independent Power Producer (IPP)”** means an electricity generating company not owned or controlled by the Central / State Government;
- (u) **“Indian Electricity Grid Code (IEGC)”** means the Grid Code specified by the Central Electricity Regulatory Commission under Clause (h) of sub-section (1) of Section 79 of the Act;
- (v) **“Inter-State Generating Station (ISGS)”** means a Central/other Electricity Generating Station in which two or more States have shares and whose Scheduling is to be coordinated by the Regional Load Despatch Centre (RLDC);
- (w) **“Intra-State Entity”** means a person whose metering is done by the State Transmission Utility or the Distribution Licensee, as the case may be and the energy accounting is done by the State Load Despatch Centre or by any other authorized State Agency.
- (x) **“Madhya Pradesh Electricity Grid Code (MPEGC)”** means the Grid Code specified by the MPERC under Clause (h) of sub-section (1) of Section 86 of the Act;

- (y) **“Month”** means a Calendar month as per the Gregorian Calendar;
- (z) **“MPPMCL”** means Madhya Pradesh Power Management Company Ltd. constituted by the Government of Madhya Pradesh vide notification dated 29th June’ 2012;
- (z-a) **“Net Drawal Schedule”** means the Drawal Schedule of a Discom or an Open Access Customer after deducting the apportioned Transmission Losses (estimated);
- (z-b) **“Open Access Customer”** means a person permitted under Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022 as amended from time to time and Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions for intra state open access in Madhya Pradesh) Regulations, (Revision-I) 2021 as amended from time to time to receive supply of electricity from another person other than the Distribution Licensee of his area of supply, or a Generating Company (including Captive Generating Plant) or a licensee, who has availed of or intends to avail open access.
- (z-c) **“Scheduled Generation or Scheduled Injection”** for a Seller in a time block or any period means the schedule of generation or injection in MW or MWh Ex-Bus given by the State Load Despatch Centre;
- (z-d) **“Seller”** means a person, including an Electricity generating station, supplying electricity through a transaction scheduled in accordance with Central and State Grid Code;
- (z-e) **“State Load Despatch Centre (SLDC)”** means the Centre established under subsection (1) of Section 31 of the Act;
- (z-f) **“State”** means the State of Madhya Pradesh;

- (z-g) **“State Energy Account (SEA)”** means monthly State Energy Account prepared by State Load Despatch Centre for the billing and settlement of Capacity charges, Energy charges and incentives, if any, applicable;
- (z-h) **“State Reactive Account (SRA)”** means weekly State Reactive Energy Account prepared by State Load Despatch Centre for the billing and settlement of Reactive Energy Charges;
- (z-i) **“State Deviation Settlement Mechanism Account (SDSMA)”** means weekly State Deviation Settlement Mechanism Account prepared by State Load Despatch Centre for the billing and settlement of Deviation charges;
- (z-j) **“State Sector Generating Station (SSGS)”** means any Electricity Generating Station within the State including Pench hydro power station (operated by Madhya Pradesh Power Generating Company Limited), except Inter-State Generating Stations (ISGS) and Independent Power producer generating stations (IPPs) / Captive Power Producer (CPP) located within the State of MP in which state has its share;
- (z-k) **“State Transmission Utility (STU)”** means the Government Company notified so by the State Government under Sub-section (1) of Section 39 of the Act;
- (z-l) **“Time Block”** means time block as defined in the State Grid Code;
- (z-m) **“Transmission Licensee”** means a licensee authorised to establish or operate transmission lines; and
- (z-n) **“Week”** means a period of consecutive seven days commencing from 00.00 hours on the Monday and ending at 24.00 hours on following Sunday as per the Gregorian Calendar.

- (2) Words and expressions used in this Code and not defined herein but defined in the Act or CERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2022 or Indian Electricity Grid Code or Madhya Pradesh Electricity Grid Code shall have the meaning assigned to them under the Act or CERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2022 or Indian Electricity Grid Code or Madhya Pradesh Electricity Grid Code, as the case may be.

4. Infrastructure and Capability Requirements

- (1) Respective Intra State Entity shall ensure adequate Infrastructure and Capability Development to fully implement this Code.
- (2) Subject to provisions of this Code, the State Load Despatch Centre shall prepare amendment to existing detailed procedure covering relevant and residual matters not detailed in this Code on the following within 30 days from the notification of this Code and submit it before the Commission for approval: -
- (a) Detailed procedure for Scheduling and Despatch;
 - (b) Detailed procedure for Energy Metering (including data collection, data processing, data transfer, data archiving, etc.);
 - (c) Detailed procedure for Energy Accounting, Deviation Charges Accounting, Reactive Energy Charges Accounting and payment settlement of Deviation Charges and Reactive Energy Charges (including management of State Pool Account etc.);
 - (d) Detailed procedure for curtailment of power during the time of excessive supply / grid contingencies; and
 - (e) Any other procedure which State Load Despatch Centre feels necessary for the successful implementation of this Code.

- (3) Each Discom shall fully develop and equip Discom Energy Accounting Group (DEAG) at respective Discom Control Centre (DCC) for undertaking various activities such as computation of Deviation Charges of Discom embedded Open Access Customers (connected at Discom Network) and, energy settlement of Open Access Customers at time block level transacting power under short term open access and other activities required for implementation of this Code.

5. Scheduling and Despatch

- (1) The Scheduling and Despatch of all Intra State entities shall be in accordance with relevant provisions of M.P. Electricity Grid Code (MPEGC) (Revision-II), 2019 as amended or revised from time to time. All the scheduling shall be done at time block as defined in the State Grid Code. Presently, the time block is of 15 minutes duration and each day starting from 00.00 hrs. to 24.00 hrs. shall be divided into 96 equal time blocks. State Load Despatch Centre shall compile and intimate the Drawal Schedule to each Buyer and the Generation Schedule to each Seller.
- (2) While preparing Generation Schedules, State Load Despatch Centre shall keep in view the transmission system constraints and provision of operating margins (reserves) and limitations on generation as provided in the Indian Electricity Grid Code and Madhya Pradesh Electricity Grid Code as amended from time to time.
- (3) For calculating the Net Drawal Schedules of Buyers at their periphery, the weekly Point of Connection losses as computed by National Load Despatch Centre in accordance with Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020 as amended from time to time and Weekly Computed Transmission Losses of Madhya Pradesh, State Discomswise transmission losses (applicable for State Discoms) and Distribution / Other losses, if applicable, shall be apportioned in proportion to their Drawal Schedules. Following process shall be adopted by SLDC to compute weekly M.P Transmission and Discom wise transmission losses: -

- (a) State Transmission loss for a given Week = (Total net injection into the State Grid in a week) - (Total net Drawal from the State Grid in a Week);
- (b) State Discom wise transmission loss for a given week = (Total net injection into the State Discom at M.P. Periphery in a week) - (Total net Drawal by the State Discom from the State Grid in a Week);
- (c) Loss of n^{th} Week shall be computed by the 5th day of the $(n+1)^{\text{th}}$ Week;
- (d) This loss figure shall then be used in the Scheduling process from the beginning of the $(n+2)^{\text{th}}$ Week;
- (e) State Load Despatch Centre shall round-off actual loss of n^{th} Week to nearest 0.01% for the purpose of Scheduling for the $(n+2)^{\text{th}}$ Week (e.g. 4.705% is rounded-off to 4.71%, 3.442% is rounded off to 3.44% and so on); and
- (f) Events in the Grid of an exceptional nature could result in abnormally high or low losses in any Week. This could be either a Load crash in the State due to a Weather disturbance or closure of any Major Hydro PowerStation during the monsoon for flushing of silt/debris from the Reservoir or Outage of any major Transmission Lines etc. The losses for these abnormal weeks shall generally be ignored as far as the Scheduling process is concerned. Decision of State Load Despatch Centre in this regard will be final.
- (4) State Load Despatch Centre shall upload all the Scheduling information on its Website including Station-wise foreseen Ex Power Plant capabilities advised by the Generating Stations, Entitlements in Inter State Generating Station, State Sector Generating Stations and IPPs, Injection and Drawal Schedules issued by the State Load Despatch Centre and all revisions.

- (5) The procedure for Scheduling and the final implemented Schedules issued by State Load Despatch Centre, shall be open to all Intra-State Entities for any checking/verification, for a period of five (5) days. In case any mistake/omission is pointed out, the State Load Despatch Centre shall forthwith make a complete check and rectify the mistake, if any.
- (6) All Hydro Power Stations of Madhya Pradesh Power Generating Company Limited shall furnish day ahead Declared Capacity (DC) as per Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions for determination of Generation Tariff) Regulations, 2020 and amendment from time to time.

6. Energy Metering

- (1) The State Transmission Utility shall install Special Energy Meters (SEMs) and AMR facility on all Interface points with intra-state entities connected at STU network and Discoms shall install Special Energy Meters on interface points with Discoms embedded (Open Access Customers & Renewable Energy Generating Stations) and Inter-Discom interface points for recording of actual net kwh Interchanges and kVArh injection / Drawls.

The cost of ABT meters (Main, Check and Standby) and AMR facility installed at the interface points of Generating Stations (Thermal, Hydel and Renewable), Railways, SEZ, & Open Access Customers shall be borne by these utilities. The type of meters to be installed, metering scheme, metering capability, testing and calibration requirements and the scheme for collection and dissemination of metered data shall be as specified under Madhya Pradesh Electricity Grid Code 2019 and Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations 2006 as amended from time to time. All concerned Intra-State Entities (owners of interface meters) shall ensure all the time that AMR facility is functional and capable of transmitting data to State Load Despatch Centre. If the weekly data of Special Energy Meter is not received through AMR system installed at State Load Despatch Centre, the same may be downloaded and transmitted to the State Load Despatch Centre by the concerned Licensee or State Sector Generating Stations (SSGS) as the case

may be having interface with their network. The cost of providing such services by the Licensee may be recovered from the owner of the ABT meter.

On completion of week by Sunday mid-night, the SLDC shall download the meter data of interface points through AMR System installed at SLDC. The SLDC shall intimate the list of meters not read through AMR system to concerned Licensee or State Sector Generating Stations (SSGS) as the case may be through email by Tuesday of current week. On receipt of email from SLDC, concerned Licensee or State Sector Generating Stations (SSGS) as the case may be shall manually download the meter data through MRI and transmit the data to SLDC latest by Thursday of current week.

- (2) The State Load Despatch Centre shall be responsible for computation of actual net kWh Injection of each Seller and actual net Drawal of each Buyer on time block-wise, based on meter readings and for preparation of the State Deviation Charges Accounts and day-wise net Reactive Energy Injection /Drawal (kVArh) during low voltage and high voltage conditions for each Discom for preparation of State Reactive Account. All block wise actual energy in kWh figures (net Scheduled, actually metered and Deviation) and day-wise reactive energy in kVArh figures shall be rounded off to the Zero decimal places. All computations carried out by State Load Despatch Centre shall be open to all Intra-State Entities for checking/verification for a period of fifteen days. In case any discrepancy is pointed out regarding energy metering/State Energy Account/State Deviation Account/State Reactive Account, the State Load Despatch Centre shall check it comprehensively and rectify mistake(s), if any, within fifteen days.
- (3) In case of non-availability of data of main meter, check and standby meter due to failure of meter / metering equipment failure or non-receipt of data on time, State Load Despatch Centre shall assess the missing meter data as defined in clause 15 of Central Electricity Authority (Installation and Operation of meters) Regulations 2006 as amended from time to time. The State Load Despatch Centre shall assess the missing data on the following basis: -

- (i) For generating stations - On the basis of generation data available through SCADA at State Load Despatch Centre.
- (ii) For interface points of Discoms including Railways and SEZ -The data shall be assessed on the basis of SCADA data if available or on the basis of data available for previous week from the ABT meter installed at the same interface point, which shall be adjusted in line with load pattern of the adjoining transformers/feeder.
- (iii) For Open Access Customers (OAC) - The State Load Despatch Centre shall substitute the actual with schedule while calculating the deviation charges.

7. Energy Accounting and Settlement

State Energy Account (SEA)

- (1) The State Load Despatch Centre shall prepare and issue (to all Intra-State Entities) monthly State Energy Account (SEA) by 7th day of the next month or on later date after issue of Regional Energy Account (REA) by Western Region Power-Committee. The State Load Despatch Centre shall revise the State Energy Account as and when required. SEA shall broadly contain the following information:
 - (a) Details of PAFM (Plant Availability Factor achieved during the Month in %) foreach State Sector Generating Station, Independent Power Producer and any other Generating Station under Two Part Tariff:

Provided that in case IPPs having part capacity tied up with MPPMCL do not keep their unit on bar despite technical minimum schedule provided by the beneficiary for their contracted capacity, the unit shall be treated under forced outage and PAF shall be computed accordingly.

- (b) Details of mis-declaration of Declared Capacity by State Sector Generating Station, Independent Power Producer and any other Generating Station under Two Part Tariff (if any);
- (c) - Details of Energy scheduled to Discoms / MPPMCL on behalf of Discoms from Inter State Generating Station, State Sector Generating Station, Independent Power Producer and any other Generating Station under Two Part Tariff;
- (d) The details of energy injection of Renewable Energy Generators(REG) at common metering point, energy purchased by Madhya Pradesh Power Management Company Limited and energy wheeled to Discoms for own use / third party sale as furnished by respective Discoms/ Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited; and
- (e) Any other details which State Load Despatch Centre feels necessary to complete the State Energy Account.
- (2) Discoms (through Madhya Pradesh Power Management Company Limited) shall pay to the respective Inter State Generating Station Capacity Charges corresponding to Plant Availability and Energy Charges and PLF incentives (if any) for the Scheduled Despatch (on ex-Power Plant basis), as per the relevant notifications and orders of Central Electricity Regulatory Commission. The bills for these charges shall be issued by the respective Inter State Generating Station to Madhya Pradesh Power Management Company Limited on monthly basis.
- (3) Madhya Pradesh Power Management Company Limited shall pay to the respective State Area Generating Station/Independent Power Producers Capacity Charges corresponding to Plant Availability and Energy Charges for the Scheduled Despatch (on ex-Power Plant basis), as per the relevant notifications and orders of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission. The bills for these charges shall be issued by the respective State

Sector Generating Station / IPPs etc. to each Discom (through Madhya Pradesh Power Management Company Limited) on monthly basis.

State DSM Account (SDSMA)

- (4) The State Load Despatch Centre shall prepare and issue (to all Intra-State Entities) Weekly State Deviation Settlement Mechanism Account (DSMA) within ten days from the last day of the Week and shall revise the same at a later date if required. The Deviation Settlement Mechanism Account shall be prepared by State Load Despatch Centre in accordance with the methodology and Deviations Rates specified in Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations 2022 as amended from time to time. Deviation Settlement Mechanism Account shall broadly contain the following information:
- (a) Details of Deviation Settlement Mechanism Structure currently in force;
 - (b) Details of Day-wise and total Deviation Charges for each Entity (details shall include Scheduled Energy, Actual Energy, Deviation Charges (unadjusted) and Deviation charges (Adjusted);
 - (c) Summary table listing all Entities along with their Deviation Charges and Net Deviation Charges payable or receivable after pool balancing during the week;
 - (d) Details of time-blocks of suspension of Deviation due to Transmission constraints and Grid disturbances;
 - (e) Any other details which State Load Despatch Centre feels necessary to complete the Deviation Settlement Mechanism Account.
- (5) Composite Deviation amount payable/receivable by Madhya Pradesh in the Regional Deviation Settlement Mechanism Pool Account shall be obtained from

the Weekly Regional DSM Account prepared and circulated by Western Region Power Committee.

- (6) The Deviation in a time block and Charges for Deviation for each Buyer and Seller except for Wind and Solar Generating Stations shall be computed in accordance with CERC (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations 2022 as amended from time to time and any directives issued by CERC there under.
- (7) Following rules shall apply for Active Energy transactions in the State:
- (a) Amount payable (+) by Intra-State Entity for Over-Drawal;
 - (b) Amount receivable (-) by Intra-State Entity for Under-Drawal;
 - (c) Amount payable (+) by Intra-State Entity for Under-Generation;
 - (d) Amount receivable (-) by Intra-State Entity for Over-Generation.

Procedure for Imbalance Settlement of Deviation Charges:

- (8) The pool balancing of Deviation Charges shall be done in following three steps:
- i Pre pool balancing of Discoms (M.P. Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Co. Ltd. (CZ), M.P. Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Co. Ltd. (EZ), M.P. Paschim Kshetra Vidyut Vitaran Co. Ltd. (WZ) shall be done for total Deviation Charges. The total Deviation Charges (payable / receivable) of Discoms shall be matched at day level.
 - ii Pool balancing shall be done of all Intra State entities (under long term) excluding OACs.
 - iii Pool balancing shall be done of all Intra State entities (under long term) including OACs and Generators injecting infirm power.

The imbalance settlement of Deviation Charges of the Intra State entities shall be done by State Load Despatch Centre as per Appendix.

- (9) The charges for deviation for injection of infirm power and drawal of start-up power before COD of a Generating Unit shall be computed in accordance with CERC (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations as amended from time to time:

Provided that infirm power injected before the COD of a Generating Unit of MPPGCL Power Station shall be accounted as Deviation and paid from the State Deviation Pool Account at the applicable Deviation Rate.

- (10) In case of forced outage of Thermal Generating Unit (Seller), the charges for deviation shall be @ the energy charge rate, for a maximum duration of four-time block or until the revision of its schedule, whichever is earlier. No charges shall be payable for injection of power in the absence of Declared Capacity / Schedule.
- (11) The Hydro Power Generating Stations of Madhya Pradesh Power Generating Company Ltd., NHDC Limited (except ISP), Small Hydro, Municipal Solid Waste Plants and Biomass Generators (with installed capacity less than 15MW) are excluded from the ambit of Deviation Settlement Mechanism.
- (12) The Deviation Charges for each State Discom (East Discom, Central Discom and West Discom) shall be computed in accordance with the methodology specified in CERC (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations 2022 as amended from time to time for category of Buyer being an RE Rich State.
- (13) The Deviation Charges for Buyer other than buyer mentioned in sub-clause (12) above i.e. Railways & SEZ and Open Access Customers connected with the State network or having control area with SLDC and purchasing power from within or outside the State shall be computed in accordance with the methodology specified in CERC (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations 2022 as amended from time to time specified for category

of Buyer (other than the buyer with schedule less than 400 MW and the RE Rich State) or category of Buyer (with schedule upto 400 MW) as the case may be.

- (14) The Deviation Charges for MPPGCL Thermal Power Stations, IPPs, ISP(NHDC), Biomass Generators (with installed capacity more than 15MW) or any other Thermal Generator connected with State Network or having control area with SLDC and Open Access Customer connected with the State network or having control area with SLDC selling power within or outside the State shall be computed in accordance with the methodology specified in CERC (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations 2022 as amended from time to time for General Seller other than an ROR generating station or a generating station based on municipal solid waste.
- (15) The Deviation Charges for Generating Station based on municipal solid waste plants subjected to Merit Order Despatch Principles shall be computed in accordance with accordance with the methodology specified in CERC (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations 2022 as amended from time to time for General Seller being a generating station based on municipal solid waste.
- (16) The Deviation rate for computation of Deviation Charges of Open Access Customers shall be 105% (for Over-Drawal or Under-Generation) and 95% (for Under-Drawal or Over- Generation) of Deviation rate specified in CERC (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations 2022 at the periphery of Regional Entity.
- (17) The Deviation Charges for Wind and Solar Generating Stations shall be computed in accordance with MPERC(Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters of Wind and Solar Generating stations) Regulations 2018 as amended from time to time.
- (18) In case supply of power is required from State Discoms to run the auxiliaries of MPPGCL Generating Power Stations then Discoms should mandatorily supply such power. The energy supplied by the Discoms for running of auxiliaries of

Generating Power Stations of MPPGCL shall be treated as auxiliary power consumption of power station and same shall be deducted from the Drawal of respective Discom.

- (19) Settlement of Deviation charges shall be done through State DSM Pool Account to be operated by State Load Despatch Centre. The State Load Despatch Centre shall open and maintain a separate Bank Account with a Nationalized/Scheduled Commercial Bank having Branch Office in Jabalpur.
- (20) Payment of Deviation charges shall have a high priority and the concerned Entity shall pay the indicated amount, within 7 (seven) days from the date of issue of State Deviation Settlement Account by the State Load Despatch Centre, failing which late payment surcharge @ 0.04% shall be payable for each day of delay. Separate books of accounts shall be maintained for the principal and interest component of Charges for Deviation by the State Load Despatch Centre.
- (21) Any Intra State entity which at any time during the previous financial year fails to make payment of charges for deviation within the time specified in these Regulations, shall be required to open a Letter of Credit (LC) equal to 110% of their average payable weekly liability for deviations in the previous financial year in favour of the State Load Despatch Centre within a fortnight from the start of the current financial year.

Illustration: If the average payable weekly liability for Deviation of an intra state entity during 2020-21 is Rs. 2 crores, the intra state entity shall open Letter of Credit for Rs. 2.2 crore in 2021-22.

- (22) In case of failure to pay into the State Deviation Pool Account within 7 (seven) days from the date of issue of statement of charges for deviations, the State Load Despatch Centre shall be entitled to en cash the LC of the concerned entity to the extent of the default and the concerned State entity shall recoup the LC amount within 3 days.

State Reactive Account (SRA)

- (23) The State Load Despatch Centre shall prepare and issue to Discoms Weekly State Reactive Account (SRA) complying with the requirements of Indian Electricity Grid Code and Madhya Pradesh Electricity Grid Code within ten days from the last day of the Week or on later date after availability of state reactive charges amount in Western Regional Load Despatch Centre website. The State Load Despatch Centre shall revise the SRA as and when required.

State Reactive Account shall broadly contain the following information: -

- (a) Details of day-wise net Reactive Energy Injection/Drawal during low Voltage (<97%) and high Voltage (>103%) for each Discom;
 - (b) Summary of weekly total net Reactive Energy Injection/Drawal during low Voltage (<97%) and high Voltage (>103%) for each Discom;
 - (c) Summary of Reactive Charges payable/receivable by the Intra State entity (excluding RE Generators) [Note: Rate of reactive energy shall be taken as per Indian Electricity Grid Code as amended from time to time.
 - (d) Any other details which State Load Despatch Centre feels necessary to complete the State Reactive Account.
- (24) Following Rules shall apply for Reactive Energy transactions in the State:
- (a) Amount payable (+) by Discom for Drawal when $V < 97\%$;
 - (b) Amount receivable (-) by Discom for Injection when $V < 97\%$;
 - (c) Amount payable (+) by Discom for Injection when $V > 103\%$;
 - (d) Amount receivable (-) by Discom for Drawal when $V > 103\%$.

- (25) Notwithstanding the above, State Load Despatch Centre may direct a Discom to curtail its Reactive Drawal/ Injection in case the security of Grid or safety of any equipment is endangered. All the Generating Stations connected to State Grid shall generate / absorb Reactive power as per instructions of State Load Despatch Centre, within capability limits of the respective Generating Units.
- (26) The Reactive Energy Settlement shall be carried out as per following procedure:

Nomenclature:

RRC: Total of Regional Reactive Charges and Inter State Bilateral Reactive Charges payable (+) / receivable (-) by MP.

SRCP: Total State Reactive Charges payable (+) by Discoms.

SRCR: Total State Reactive Charges receivable (-) by Discoms.

RRA: Reactive Reserve Amount available in State Reactive Account (i.e. surplus balance amount after settlement of all earlier Reactive transactions)

- (a) Case-I: If Regional Reactive Charges is payable (+) by Madhya Pradesh and (Regional Reactive Charges + State Reactive Charge Receivable) < State Reactive Charge Payable: Balance amount shall be kept as reserve (Reactive Reserve Amount) after paying out Regional Reactive Charges and State Reactive Charges Receivable;
- (b) Case-II: If Regional Reactive Charges is payable (+) by MP and (Regional Reactive Charges + State Reactive Charges Receivable) > State Reactive Charge Payable: Surplus amount, if any, available in reserve (RRA) shall be withdrawn to match (Regional Reactive Charge + State Reactive Charge Receivable) and State Reactive Charge Payable. If there is no reserve or if it is inadequate to meet the gap, State Reactive Charge Receivable shall be reduced appropriately to match the total payables and total receivables;

- (c) Case-III: If Regional Reactive Charge is receivable (-) by MP and (Regional Reactive Charge + State Reactive Charge Payable) > State Reactive Charge Receivable: Balance amount shall be kept as reserve (RRA) after paying out SRCR;
- (d) Case-IV: If Regional Reactive Charges is receivable (-) by MP and (Regional Reactive Charges + State Reactive Charge Payable) < State Reactive Charge Receivable: Surplus amount, if any, available in reserve (RRA) shall be withdrawn to match (Regional Reactive Charges + State Reactive Charge Payable) and State Reactive Charge Receivable. If there is no reserve or if it is inadequate to meet the gap, State Reactive Charge Receivable shall be reduced appropriately to match the total payables and total receivables;
- (e) Case-V: If State Reactive Charges are receivable by Discoms and no Regional Reactive Charges (RRC) are receivable, and reserve(RRA) has no balance available then no Reactive Charges shall be payable to the Discoms.
- (27) Payment of Reactive Charges shall have a high priority and the concerned Entity shall pay the due amounts within 7 (seven) days of the issue of State Reactive Account Statement by the State Load Despatch Centre, failing which late payment surcharge @ 0.04% shall be payable for each day of delay. All the payment settlement of Reactive Energy Charges shall be done through State Reactive Account to be maintained and operated by the State Load Despatch Centre. SLDC may maintain a single bank-account for payment settlement of both Deviation Charges and Reactive Energy Charges, but books of accounts shall be maintained separately.
- (28) Separate books of accounts shall be maintained for the principal and interest component of Charges for Reactive Energy by State Load Despatch Centre.

8. Procedure for Imbalance Settlement of Deviation charges

Appendix to this Code provides the illustration of Imbalance Settlement of Deviation charges for Intra State entities.

9. Data Archiving Requirements

All Entities shall properly preserve respective records of documents /information/Data for the period as specified in following table. The records shall be easily retrievable at any time for the purpose of Audit by the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, or any other independent Audit Agency appointed by the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission.

S. no.	Documents / information / data	Mode and period of	Responsibility
1	Short term Open Access and associated contracts / agreements by Intra-State Entities	Electronic -2 Years Paper - 12 months	State Load Despatch Centre
2	Declared Capacity of all State Area Generating Stations / Independent Power Producers / Renewable Energy Generators And Entitlements in all Inter State Generating Stations (all revisions)	Electronic -2 Years Paper - 12 months	State Load Despatch Centre, Generator Control Centre
3	Demand, Entitlement and Requisition of each Discom (all revisions)	Electronic -2 Years Paper - 12 months	State Load Despatch Centre, Delivery Control Centre
4	Short-term Open Access transactions: Bilateral transactions (direct and through Traders) and Collective transactions through Power	Electronic -2 Years Paper - 12 months	State Load Despatch Centre, Delivery Control Centre

	Exchanges		
5	Schedules of Inter State Generating Station, Seller and Buyer (all revisions)	Electronic -2 Years Paper - 12 months	State Load Despatch Centre, Delivery Control Centre, Generator Control Centre.
6	ABT meter data from Interfaces with Seller, & Buyer in 15-minute Time Block	Electronic -2 Years	State Load Despatch Centre
7	Details of State Load Despatch Centre instructions to Intra-State Entities	Electronic -2 Years	State Load Despatch Centre
8	Details of requests from Intra-State Entities to State Load Despatch Centre	Electronic -2 Years Paper - 12 months	State Load Despatch Centre
9	Any other information deemed necessary for Operational, Commercial Delivery Control Centre or Market Audit purpose	Electronic -2 Years Paper - 12 months	State Load Despatch Centre, Delivery Control Centre, Generator Control Centre.

10. Standing Committee for Market Audit

(1) The Commission may appoint a Standing Committee (SC) for independent review and audit of market transactions and behavior of Intra-State Entities to which Balancing and Settlement Code is applied. The Committee shall comprise of following members:

- (a) A Representative from State Load Despatch Centre (An officer working as Chief Engineer or equivalent) - Chairperson of the Standing Committee;

- (b) A Representative from State Transmission Unit (An officer working as Chief Engineer or equivalent);
- (c) A representative from Madhya Pradesh Power Management Company Limited (An officer working as Chief General Manager or equivalent);
- (d) A representative from Madhya Pradesh Power Generating Company Limited (An officer working as Chief Engineer or equivalent);
- (e) A representative from three discoms (An officer working as Chief General Manager or equivalent on rotation for one year);
- (f) A representative from NHDC Limited, Independent Power Producers (having installed capacity 250 Mega Watt. & above) and Renewable Energy Generators (having installed capacity of 50 Mega Watt & above at single location) on rotation for one year; and
- (g) A Certified Energy Auditor from State Load Despatch Centre /Discom/ Madhya Pradesh Power Generating Company Limited / Madhya Pradesh Power Management Company Limited / State Transmission Unit as nominated by the Standing Committee, to assist the Committee for preparation of energy audit report.

(2)The Audit may be conducted twice a Year and the Committee shall submit the Audit Report to the Commission within sixty days of the initiation of the Audit.

(3)The Committeeshall recommend modifications and suggestions (if any) to the Commission. The Commission may accordingly amend and notify, if required, the concerned Section or Order or Procedure.

11. Applicability of Code: -

This Code shall apply to all Sellers and Buyers connected to Intra-State Transmission Network and whose energy accounting is being done by State Load Despatch Centre

from the date of coming into force, as may be specified by the Commission separately by way of notification.

12. Powers to remove difficulties

- (1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Code, the Commission may, by general or special order, direct State Load Despatch Centre, State Transmission Unit and/or any of the Intra-State Entities to take suitable action, not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.
- (2) State Load Despatch Centre, State Transmission Unit and/or any of the Intra-State Entities may also make an application to the Commission and seek suitable orders to remove any difficulties that may arise in implementation of this Code.

13. Power to amend: -The Commission may from time to time add, vary, alter, modify or amend any provisions of this Code after following the necessary procedure.

14. Savings

- (1) The Code namely "Madhya Pradesh Electricity Balancing and Settlement Code, 2015 [RG-34(I) of 2015] is hereby repealed.
- (2) Nothing in this Code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice and/or to prevent abuses of the process of the Commission.
- (3) Nothing in this Code shall bar the Commission from adopting, in conformity with the provisions of the Act, a procedure, which is at variance with any of the provisions of this Code, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
- (4) Nothing in this Code shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations or Code have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Commission Secy.

APPENDIX**PROCEDURE FOR IMBALANCE SETTLEMENT OF DEVIATION CHARGES OF INTRA STATE ENTITIES**

<p>The pool balancing of Deviation Charges shall be done in three steps, in the first step pre pool balancing of State Discoms (CZ,EZ & WZ) total Deviation Charges and Regional DSM amount is done, the total Deviation Charges (payable / receivable) of Discoms are matched at day level to avoid unnecessary adjustment on other Intra State entities: in the second step pool balancing is done of all Intra State entities (under long term) excluding OACs and in the third step including OACs and Generators injecting infirm power. The objective of including the OACs and Infirm power in the third step is that nominal adjustment is done in OACs even if there is large amount of Regional Deviation amount payable / receivable by MP.</p>		
<p>Step -1 (Pre Pool Balancing of Total Deviation Charges of State Discoms (CZ,EZ & WZ) and Regional DSM amount)</p>		
<p>Blockwise Deviation charges of each State Discom (CZ, EZ & WZ) is calculated at the end of the week. The blockwise DSM Charges are added at a day level to make the total DSM charges payable / receivable by each Discom (CZ,EZ &WZ) for a day. The day wise total Regional Deviation Charges amount payable / receivable by Madhya Pradesh is obtained from the Regional DSM Account prepared by WRPC.</p>		
<p>Lets say in a day of week:</p>		
<p>The amount payable by each Discom say D1= 4500, D2=3000, D3=2000 and Regional DSM Amount is the Deviation Charges amount payable / receivable by MP=7000 where D1,D2,D3 are State Discoms (CZ,EZ & WZ).</p>		
<p>If total DSM charges payable / receivable by each Discom (CZ,EZ &WZ) for a day are in same direction (i.e. payable / receivable) and Regional DSM amount is also (payable / receivable) from State Pool, then, difference in total payable / receivable of Discoms and Region will be distributed to all Discoms in proportion to their DSM charges.</p>		
<p>Particular</p>		
<p>Adjusted amount = (Original DSM amount of Discom / Total DSM Amount of all Discoms) x Regional DSM amount</p>		
<p>Amount Payable by Discoms</p>		
Participants	Original Payable	Adjusted amount
D1	4500	$(4500/9500) \times 7000 = 3316$
D2	3000	$(3000/9500) \times 7000 = 2210$
D3	2000	$(2000/9500) \times 7000 = 1474$
Total Payables	9500	7000
<p>Pre Pool Balancing of Total Deviation Charges of State Discoms</p>		

Amount Payable by Participants		Amount Receivable by Participants	
Participants	Rs	Participants	Rs
D1	3316	Regional DSM amount	7000
D2	2210		
D3	1474		
Total Payables	7000	Total Receivables	7000
If total DSM charges payable / receivable by each Discom (CZ,EZ &WZ) for a day are not in same direction (i.e. payable / receivable). In order to match them, the average of the "Total Payables" and "Total Receivables" is taken as a base and payable / receivables are matched to average.			
Total Deviation Charges of Discoms (CZ, EZ & WZ) and Regional DSM amount (for a given day in a week)			
Amount Payable by Participants		Amount Receivable by Participants	
Participants	Rs	Participants	Rs
D2	3000	D1	4500
D3	2000	Regional DSM amount	7000
Total Payables	5000	Total Receivables	11500

The amount payable and receivable to / from State Deviation Pool does not match for a given day. In order to match them, the average of the "Total Payables" and "Total Receivables" is taken as a base and payable / receivables are matched to average.

Particular	Total Amount Payable	Total Amount Receivables
Sum Total	5000	11500
Average of the 'Total Amount Payable' and 'Total Amount Receivables'	8250	
Adjustment Ratio# AR_{P1} (=Average / Total Amount Payable)	1.650000	
Adjustment Ratio# AR_{R1} (=Average / Total Amount Receivable)	0.717391	
Amount Payable by Discoms		
Participants	Original Payable	Adjusted Payable
D2	3000	4950
D3	2000	3300

Total Payables	5000		8250
Amount Receivable by Discoms			
Participants	Original Receivable	Adjustment Ratio AR _{R1}	Adjusted Receivable
D1	4500	0.717391	3228
Regional DSM amount	7000	0.717391	5022
Total Receivables	11500		8250
Since regional DSM amount must be paid without any adjustments, difference between adjusted regional DSM amount and original Regional DSM amount shall be recovered from remaining participant in proportion to their their original amounts			
Difference between adjusted regional DSM amount and Actual Regional DSM amount		5022-7000=-1978	
Original Total receivables excluding Actual Regional DSM amount		11500-7000=4500	
Adjustment Ratio AR _{R2} for receivables		-1978/4500=-.439613527	

Second Stage Adjustment			
Participants	Original Receivable	Adjustment Ratio AR _{R2}	Adjusted Payable
D1	4500	-0.439613527	-1978
Regional DSM amount	7000		
Total Receivables	11500		-5056

Amount Receivable by Participants (for a given day in a week) - Final			
Participants	Amount after first Adjustment	Second adjustment Amount	Total (Final) Adjusted Amount
D1	3228	-1978	1250
Regional DSM amount	7000	0	7000
Total Receivables	10228		8250

Pre Pool Balancing of Total Deviation Charges of State Discoms

Amount Payable by Participants		Amount Receivable by Participants	
Participants	Rs.	Participants	Rs.
D2	4950	D1	1250
D3	3300	Regional DSM amount	7000
Total Payables	8250	Total Receivables	8250

Step -2 (Pool balancing of all Intra State entities (under long term) excluding OACs)

The daywise Total Deviation Charges of Discoms (CZ, EZ & WZ) as obtained from Step-1 are taken and Total Deviation Charges of other Long Term Intra State entities are included along with Regional Amount (Payable / Receivable) and Pool Balancing is done. The Blockwise Deviation charges of Other Intra State entities are added at a day level to make the total DSM charges payable / receivable for each participant for a day.

State DSM Pool Account (for a given day in a week / month)

Amount Payable by Participants		Amount Receivable by Participants	
Participants	Rs.	Participants	Rs.
D2	4950	D1	1250
D3	3300	D4	500
D5	1000	SSGS3	3500
SSGS1	3500	Regional DSM amount	7000
SSGS2	1500		
Total Payables	14250	Total Receivables	12250
Where,			
D4 & D5 other Discoms.(SEZ & RAILWAY)			
SSGS1, SSGS2, SSGS3 are State Setor Generating Stations.			

The amount payable and receivable to / from State Deviation Pool does not match for a given day. In order to match them, the average of the "Total Payables" and "Total Receivables" is taken as a base and payable / receivables are matched to average.

Particular	Total Amount Payable	Total Amount Receivables
Sum Total	14250	12250
Average of the 'Total Amount Payable' and 'Total Amount Receivables'	13250	
Adjustment Ratio# AR_{P1} (=Average / Total Amount Payable)	0.929825	

Adjustment Ratio# AR_{R1} (=Average / Total Amount Receivable)	1.081633		
First Stage Adjustment			
Amount Payable by Participants - First Adjustment			
Participants	Original Payable	Adjustment Ratio AR_{R1}	Adjusted Payable
D2	4950	0.929825	4603
D3	3300	0.929825	3068
D5	1000	0.929825	930
SSGS1	3500	0.929825	3254
SSGS2	1500	0.929825	1395
Total Payables	14250		13250

Amount Receivable by the Participants - First Adjustment			
Participants	Original Receivable	Adjustment Ratio AR_{R1}	Adjusted Receivable
D1	1250	1.081633	1352
D4	500	1.081633	541
SSGS3	3500	1.081633	3786
Regional DSM amount	7000	1.081633	7571
Total Receivables	12250		13250

Since regional DSM amount must be paid without any adjustments, difference "actual regional DSM amount" and adjusted DSM amount" shall be recovered from remaining participants in proportion to their their original amounts

Difference between adjusted regional DSM amount and Actual Regional DSM amount	7571-7000=571
--	---------------

Original Total receivables excluding Actual Regional DSM amount	12250-7000=5250
---	-----------------

Adjustment Ratio AR_{R2} for receivables	571/525=0.108844
--	------------------

Second Stage Adjustment

Participants	Original Receivables	Adjustment Ratio AR_{R2}	Adjusted Receivables
D1	1250	0.108844	136
D4	500	0.108844	54

SSGS3	3500	0.108844	381
Total Receivables	5250		571
Amount Receivable by Participants (for a given day in a week) - Final			
Participants	Amount after first Adjustm ent	Second adjustment Amount	Total (Final) Adjusted Amount
D1	1352	136	1488
D4	541	54	595
SSGS3	3786	381	4167
Regional DSM amount	7000	0	7000
Total Receivables	12679		13250
Balanced State DSM Pool Account of Long Term Entities			
Amount Payable by Participants		Amount Receivable by Participants	
Participants	Rs.	Participants	Rs.
D2	4603	D1	1488
D3	3068	D4	595
D5	930	SSGS3	4167
SSGS1	3254	Regional DSM amount	7000
SSGS2	1395		
Total Payables	13250	Total Receivables	13250
Step -3 (Stage I & II)			
After obtaining the balanced DSM pool account in step-2, the Open Access Generators / Open Access Consumers (under short term) and Generator injecting infirm power are included and same methodology is applied as of step-2 for obtaining the final balanced DSM pool account.			